जनपद– कानपुर देहात

भ्रमण अवधि– दिनांक 05.10.2017 से 07.10.2017

राज्य स्तरीय टीम

1. डा0 अनिल वर्मा, महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य।
2. श्री अभय द्विवेद्वी, तकनीकी सलाहकार, एन0सी0डी0।
3. श्री सौरभ तिवारी, तकनीकी सलाहकार, आर0के0एस0के0।
4. श्री शिव जयसवाल, डाटा एनालिस्ट, एम0आई0एस0।

[redacted]

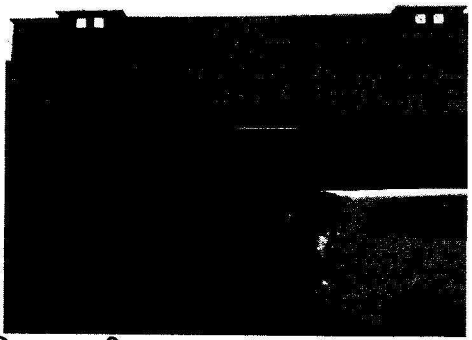

सम्पर्क अधिकारी– डा0 विकास –चिकित्सा अधीक्षक, डा0 जया

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	दायित्व
इकाई पर 01 चिकित्सा प्रभारी, 01 चिकित्सक, 2 महिला मेडिकल अफिसर , 01 स्टाफ नर्स, 04 स्टाफ नर्स संविदा की कार्यरत थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पर लगभग 80–100 प्रसव प्रतिमाह कराये जाते है।	समस्त चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को आवश्यकतानुसार SBA/BEmOC, PPIUCD, NSSK, RKSK के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 2 महिला मेडिकल अफिसर एवं संविदा स्टाफ नर्स मात्र पी0पी0आई0यू0सी0डी0 का प्रशिक्षण प्राप्त करी पायी गयी।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
चिकित्सालय परिसरः–		
चिकित्सालय का बोर्ड मुख्य मार्ग पर लगा हुआ था किन्तु पहुचने के संकेतक नही लगे थे। रैन बसेरा उपलब्ध है किन्तु प्रयोग नही किया जा रहा है।	मुख्य मार्ग पर बड़े आकार का बोर्ड मानकानुसार एवं संकेतक मार्ग पर लगानें का सुझाव दिया गया। रैन बसेरा में सफाई कराके प्रयोग में लाने के निर्देश दिये गये।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
	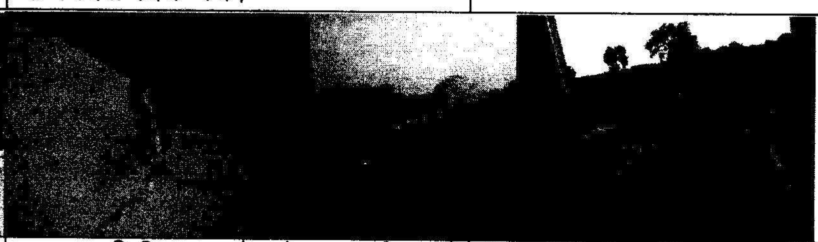	
सम्पर्क मार्ग जर्जर स्थिति में हैं।	समस्त चिकित्सालयों के सम्पर्क मार्ग की स्थिति सुधारने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा आसवस्थ किया गया।	जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से।
परिसर में साफ–सफाई ब्यवस्था काफी असंतोषजनक पायी गयी। चिकित्सालय परिसर हेतु एक भी सफाई कर्मचारी तैनात नही है।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने एवं सफाई कर्मचारी की तैनाती कराना सुनिश्चित किया जाना है।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।

नई व्हीलचेयर अंदर रखी पायी गयी। सिटीजन चार्टर डिस्प्ले नही पाया गया।	व्हीलचेयर रोगियों हेतु परिसर के बरामदे में रखवायी गयी। डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें नहीं किया जा रहा था। शिकायत पेटिका उपयोग में नही था।	5'5 मैट्रिक्स उपयुक्त स्थानों पर लगाने का सुझाव दिया गया। ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया। शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व मानकानुसार क्रियाशील करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
आशा का मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर उपलब्ध नही है अपितु विभिन्न रजिस्टरों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। आशा शिकायत निवारण समिति के गठन के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। तथा कोई भी वाल राइटिंग उपलब्ध नही थी। आशा की कल्टर मिटिंग रजिस्ट में मीटिंग मिनट विधिवत नही लिखे गये थे। आशा शिकायत निवारण पेटिका नहीं लगा था। आशाओं का वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर 10 दिनों में प्रत्येक आशावार प्रत्येक कालम भरे हुए जॉच कर बी0पी0एम0/एच0ई0ओ0 केन्द्र के चिकित्साधिकारी से अवलोकित करायें।	आशा शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व आशा शिकायत, निवारण एवं उपस्थिति रजिस्टर मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें। 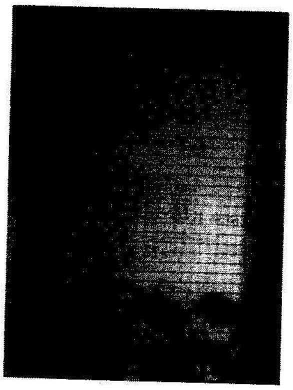
आई0ई0सी0:-		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी एवं जो लगी पायी गयी वो मानकानुसार नही लगायी गयी थी।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	टीम के सदस्यों द्वारा चिकित्सा अधीक्षक के सहयोग से कुछ डिस्प्लें लगवाये गये। मुख्य चिकित्साधिकारी से IEC सामग्री उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
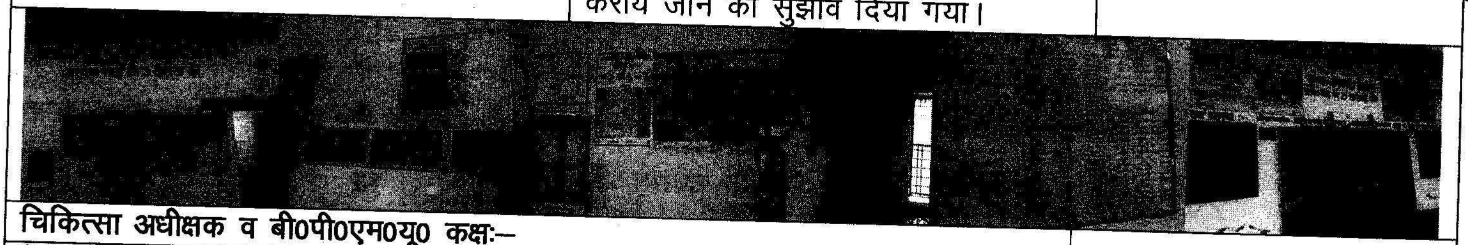		
चिकित्सा अधीक्षक व बी0पी0एम0यू0 कक्षः-		
चिकित्सा अधीक्षक कक्ष की स्थिति ठीक थी किन्तु बी0पी0एम0यू0 कक्ष में सफाई एवं व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है। क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था एवं भरी नही जा रही थी। कर्मियों को मानदेय नियमित रुप से नहीं दिया जा रहा है। रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर अपडेटेड नही था।	रिकोर्ड अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये गये। समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित का भुगतान कराने का निर्देश दिया गया। नियमित रुप से अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	ब्लाक पर तैनात बी0पी0एम0 स्तर से।

• थियेटरः–		
...शन थियेटर में शीशे आदि टूटे हुए थे। ...ली के उपकरण भी खराब थे।	आपरेशन थियेटर मानक के अनुरुप व समस्त सम्बन्धित रिकार्ड मेण्टेन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	डा0 जया, महिला चिकित्सक के स्तर से।
लेबर रुमः–		
लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स, हैण्डवाशिंग एरिया आदि नहीं पायी गयी, लेबलिंग नियमानुसार नहीं की गयी थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व मेन्टर्स के सहयोग से लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक एवं महिला चिकित्सक के स्तर से।
लेबर रुम में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाया गया था। प्रसव कक्ष में पर्दे इत्यादि नही लगे थे। लेबर रुम में डिलीवरी टेबल पर कैलीस्पैड नहीं थीं एवं जंक लगी हुयी पायी गयी।	ड्यूटी चार्ट लगाये जाने का सुझाव दिया गया। पर्दे इत्यादि लगाने के लिये सुझाव दिया गया। टेबल आदि को पेन्ट कराने एवं आवश्यकत वस्तुयें उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गयें।	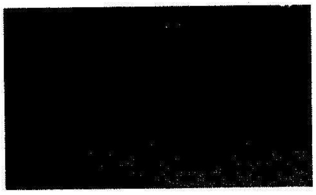
लेबर रुम में डिजिटल घड़ी नहीं थी। चप्पलें व मास्क आदि उपलब्ध नहीं कराये गये थे। प्रसव कक्ष के साथ शौचालय भी नहीं था। पार्टोग्राफ नही भरा जा रहा था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत डाइट रजिस्टर सही ढंग से लिखे नही जा रहे थे।	समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया। नर्स मेण्टर का सहयोग लिए जाने का सुझाव दिया गया।	
इमरजेन्सी रुम में इमरजेन्सी ट्रे लेबल नही थी। रेफरल आउट रजिस्टर उपलब्ध था, किन्तु सभी कालम नहीं भरे जा रहे थे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से संबंधित अभिलेख सी0एच0सी0 में उपलब्ध नही थे। प्रसव कक्ष में बेड के नीचे गन्दी ईंटे रखी हुई थीं। एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर में एवं जच्चा बच्चा कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर नहीं अंकित किये जा रहे थे।	चिकित्साधिकारी को इसके बारे में व्यापक रुप से जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने का सुझाव दिया गया। समस्त सूचनायें अंकित करने का सुझाव दिया गया। चिकित्साधिकारी को इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने व सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
जे0एस0वाई0 का भुगतान पिछले माह में 24 लाभार्थियों का लंबित पाया गया। उक्त हेतु अभिलेख अद्यतन नही पाये गये एवं कुछ अलमारी में बंद पाये गये।	टीम के सदस्यों द्वारा अभिलेखों को अद्यतन कराये जाने एवं समस्त अलमारी की चाबियां चिकित्सालय में उपलब्ध होने के निर्देश दिये गये।	ब्लाक पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक एवं श्री राजेश, बी0ए0एम0 के स्तर सें।
बायोमेडिकल वेस्ट–		
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी नाम मात्र का कार्य कर रहा है। एजेन्सी न तों पुराना पैसा ले रहा है और न ही बीजक उपलब्ध करा रहा है। एजेन्सी कर्मचारियों से टीम के सदस्यों से हुई वार्ता के कम में अवगत कराया गया कि उनको सप्ताह में दो बार आने के आदेश है।	उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी से अपडेट करने व एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु फीडबैक देने का सुझाव दिया गया।	जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधीक्षक महोदय के स्तर से।
चिकित्सालय में Colour Codded Bins की काम चलाऊ व्यवस्था की गयी थी। परिसर में पिट् अपूर्ण एवं अकियाशील पाया गया।	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	

स्टोर रुमः–		
स्टोर में उपलब्ध सामग्री का विवरण नहीं था। सामान व्यवस्थित नहीं थे। एक्स्पाइरी दवायें पायी गयी। कण्डम सामान का निस्तारण नही किया जा रहा है।	व्यवस्थित तरीके से रखने व लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया। अप्रयोज्य सामग्री को निस्तारित कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक एवं भण्डार प्रभारी के स्तर सें।
फार्मासिस्ट द्वारा दवाईयों के रखरखाव एवं स्टाक बुक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। अधिकांश दवाईयों की अवधि एक–दो माह में खत्म होने जा रही है। आयरन हेतु आई0वी0 इन्जैक्शन नही पाये गये।	फीफो मेथड (FEFO Method – First Expiry First Out) उपयोगित करते हुए स्टाक खारीज करने का सुझाव दिया गया।	
वार्डः–		
जे.एस.वाई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी। पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं की काउंसिलिंग सही तरीके से नहीं की जा रही थी।	वार्ड में संदेश मानकानुसार अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया। स्टाफ को प्रसूताओं को शीघ्र एवं केवल स्तनपान पर काउन्सिलिंग हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सक के स्तर से।
प्रिण्टिंग सामग्री–		
मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पूर्ण रुप से नही भरा जा रहा था। रेफर किये गये केसेज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। किन्तु रेफरल रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एच0आर0पी0 का चिन्हिकरण नहीं किया जा रहा है।	पूर्ण रुप से भरकर संधारित करने का सुझाव दिया गया। रेफरल रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सक के स्तर से।
नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारुप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट उपलब्ध थे। सिर्फ सहमति पत्र भरा जा रहा है, उसमें भी समस्त सूचनायें नहीं अंकित थीं। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि भरा हुआ नही पाया गया।	समस्त नवीन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने व दस्तावेजीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें।	
आर.बी.एस.के.टीमः–		
आर0बी0एस0के0 टीम का भ्रमण कार्य संतोषजनक नहीं है। टीम सदस्यो द्वारा निर्धारित रजिस्टर का इस्तेमाल नही किया जा रहा है एवं न ही वाहन की लागबुक भरी जा रही हैं। टीम के रिकार्ड अधूरे भरे गये थे। टीमों के पास विजन चार्ट उपलब्ध नहीं थे। विफस आदि की रिपोर्टिंग जनपद की नही की जा रही। जनपद स्तर से उक्त हेतु ब्लाक को दोष दिया जाता। आर.बी.एस.के. टीम के सदस्यों को विफस आदि की नियमित रिपोर्ट ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया।	निर्धारित प्रिण्टेड लागबुक प्रयोग करने व नियमित भरने का सुझाव दिया गया। जिलाधिकारी महोदय की बैठक में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें क्योकि जब तक ब्लाक स्तर से रिपोर्ट नही आयेगी तो जिला स्तर पर संकलित नही किया जा सकेगा।	आर0बी0एस0के0 टीम के चिकित्सक के स्तर सें।

...टक एवं उपकरणः–		
... मशीन उपलब्ध है किन्तु टैक्नीशियन ...लब्ध न होने के कारण एक्सरे नही किया ...ाता है। बिजली के तार जगह जगह खुले पाये गयें।	समस्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध व क्रियाशील होने चाहिए। प्रत्येक प्रकार के लाजिस्टिक की मॉग कर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। सम्बन्धित मानव संसाधन को उपलब्ध उपकरणों का संचालन व संक्रमण से बचाव सम्बन्धी जानकारियों से अपडेट कराया जाये एवं प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।	महानिदेशक, चि0स्वा0एवं परि0कल्या0, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर सें। 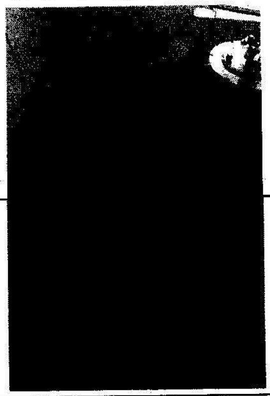
स्वास्थ्य इकाई पर निःशुल्क आपूर्ति के गर्भनिरोधक उपलब्ध नहीं थे। स्वास्थ्य इकाई पर भी आशा सप्लाई के गर्भनिरोधक ए0एन0एम0 के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे।		
एम्बुलेन्सः–		
102 एम्बुलेन्स UP 41G–2672 में आक्सीजन सीलेण्डर की चाभी उपलब्ध नहीं थी। ए0सी0 व हूटर खराब था। दवाओं के बाक्स देख कर प्रतीत होता था कि जबसे आया है कभी ...ला तक नही गया है।	टीम के सदस्यों द्वारा वाहन चालक एवं पाइलट को निर्देश दिये गये कि वाहन की सामग्री एवं अभिलेख व्यवस्थित करें।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला EMTS अधिकारी सम्बन्धित वाहनों के वाहन चालक एवं पाइलट के स्तर सें।
परिवार नियोजन–		
परिवार नियोजन कार्यकम के अन्तर्गत लाजिस्टिक उपलब्धता एवं वितरण सम्बन्धी अभिलेखों का रख रखाव अच्छा नही था। गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	अभिलेखों के रख रखाव को ठीक करने के निर्देश दिये गये एवं तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	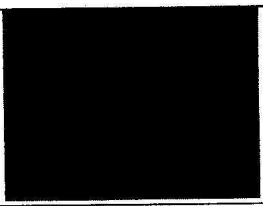
एम0आई0एस0–		
...गियों से टीम की वार्ता–		
...रोगियों को 108 एवं 102 की एवं प्रसव उपरान्त आवश्यक जानकारी का अभाव पाया गया। लाभार्थी को जे0एस0एस0के के अन्तर्गत डाइट उपलब्ध कराया जा रहा था। उक्त हेतु भोजन का टैन्डर जनपद स्तर से किया गया है।	उक्त हेतु चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता को नियमित जानकारी प्रदान करने के लिये कहा गया।	चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता के स्तर से।

संयुक्त जिला चिकित्सालय, कानपुर देहात

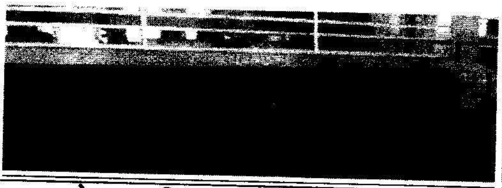
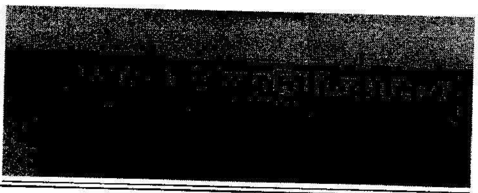

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	दायित्व
चिकित्सालय परिसरः–		
संयुक्त जिला चिकित्सालय एवं जिला पुरूष एवं महिला चिकित्सालय की बिल्डिंग आपस में जुडी है। चिकित्सालय तक पहुचने के संकेतक नही लगे थे।	मुख्य मार्ग पर बड़े आकार का बोर्ड मानकानुसार एवं संकेतक मार्ग पर लगानें का सुझाव दिया गया।	डा0 पंकज श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं डा0 कुमकुम शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के स्तर से।
सम्पर्क मार्ग जर्जर स्थिति में हैं। चिकित्सालय के समक्ष नवीन ट्रामा सेन्टर का निर्माण हुआ है किन्तु ठीक चिकित्सालय के सामने जल भराव रहता है एवं पानी की निकासी का कोई माध्यम उपलब्ध नही है।	टीम द्वारा जिलाधिकारी महोदय से समय लेकर जिलाधिकारी महोदय से हस्ताक्षेप का अनुरोध किया गया एवं उनके निर्देश के क्रम में पानी हटवा दिया गया। मार्ग की मरम्मत शीध्र कराने का आश्वासन दिया गया।	जनपद स्तर से।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	दायित्व
परिसर में साफ–सफाई व्यवस्था काफी असंतोषजनक पायी गयी। सीढीयों के किनारे पान के दाग आदि पाये गये। परिसर में कई स्थानों पर घास आदि उगी हुई पायी गयी। परिसर के अन्दर मवेसी आ जाते है जिसके रोकने हेतु मार्ग में पाइप लगवाने को कहा गया। परिसर की बाउडरी से लगी कई दवाओं की दुकानें खुली हुई पायी गयी। पार्किंग की व्यवस्था चिकित्सालय में नही है और कुछ कर्मचारियों की गाडियां बिल्डिंग के अंदर खडी हुई पायी गयी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया एवं सफाई कर्मचारी की तैनाती कराना सुनिश्चित किया जाना है। पार्किंग हेतु एक गार्ड को रखने का सुझाव दिया गया एवं जितनी दवाओं के दुकाने परिसर के अंदर संचालित है उन्हें वहां से हटाने का निर्देश दिये गये। टीम के निर्देश के क्रम में अनायास उगी घास हटायी गयी।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं अधीक्षिका के स्तर से।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	दायित्व
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से ज्ञात हुआ कि चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से तद्दिनांक तक आर0के0एस0 फण्ड चिकित्सालय में नही आया और उक्त हेतु न तो अपेक्षित कार्यवाही श्री ज्ञान प्रकाश, UDC द्वारा की गई और न हि पूर्व के अभिलेखों का रिकार्ड दिया गया।	आर0के0एस0 फण्ड हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से विस्तृत चर्चा उपरान्त समस्त चिकित्सालयों को उपलब्ध करा दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं अधीक्षिका के स्तर से।

• त पेटिका एवं सुझाव पेटिका तो अस्पताल र में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व स्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।	निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं अधीक्षिका के स्तर से। 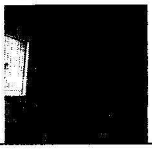
आई0ई0सी0:–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी एवं जो लगी पायी गयी वो मानकानुसार नही लगायी गयी थी। कक्ष संख्या एवं चिकित्साकों का विवरण दिवाल लेखन पाया गया।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	टीम के सदस्यों द्वारा चिकित्सा अधीक्षक के सहयोग से कुछ डिस्प्लें लगवाये गये तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से IEC सामग्री उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षिका एवं क्वालिटी मैनेजर व कम्प्यूटर कक्षः–		
चिकित्सा अधीक्षक कक्ष की स्थिति ठीक थी किन्तु क्वालिटी मैनेजर व कम्प्यूटर कक्ष में सफाई एवं व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है। क्वालिटी मैनेजर कक्ष में पुताई की आवश्यकता है।	रिकोर्ड अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षिका एवं क्वालिटी मैनेजर के स्तर से।
क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था एवं भरी नही जा रही थी।	समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया।	
कर्मियों को मानदेय नियमित रुप से नहीं दिया जा रहा है। अभिलेखों के अद्यतन कराने की आवश्यकता है।	मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित का भुगतान कराने का निर्देश दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के स्तर से।
रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर अपडेटेड नही था।	नियमित रुप से अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	
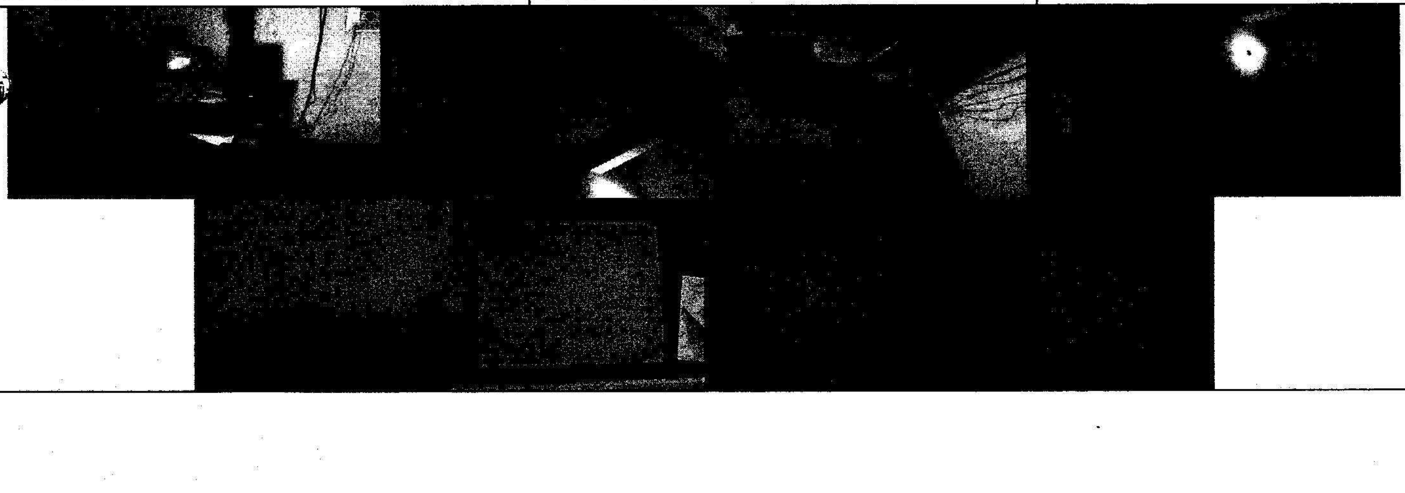		

आपरेशन थियेटरः–		
आपरेशन थियेटर में शीशे आदि टूटे हुए थे। बिजली के उपकरण भी खराब थे।	आपरेशन थियेटर मानक के अनुरुप व समस्त सम्बन्धित रिकार्ड मेण्टेन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	तैनात चिकित्सा अधीक्षिका एवं चिकित्सकों के स्तर से।
लेबर रुमः–		
लेबर रुम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स, हैण्डवाशिंग एरिया आदि मानकानुसार नहीं पायी गयी, लेबलिंग नियमानुसार नहीं की गयी थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व मेन्टर्स के सहयोग से लेबर रुम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सालय पर तैनात चिकित्सा अधीक्षिका एवं चिकित्सकों के स्तर से।
लेबर रुम में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाया गया था। प्रसव कक्ष में पर्दे इत्यादि नही लगे थे। लेबर रुम में डिलीवरी टेबल पर कैलीसपैड थीं किन्तु पैंट कराने की आवश्यकता पायी गयी।	ड्यूटी चार्ट लगाये जाने का सुझाव दिया गया। पर्दे इत्यादि लगाने के लिये सुझाव दिया गया। टेबल आदि को पेन्ट कराने एवं आवश्यक औषधियों/सामग्री उपलब्ध कराये जाने के लिये मु.चि0.अधी0 से अनुरोध किया गया।	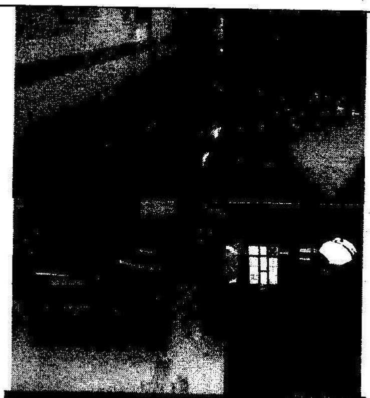
लेबर रुम में डिजिटल घड़ी नहीं थी। चप्पलें व मास्क आदि उपलब्ध थे। पार्टोग्राफ नही भरा जा रहा था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत डाइट रजिस्टर सही ढंग से लिखे नही जा रहे थे।	समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	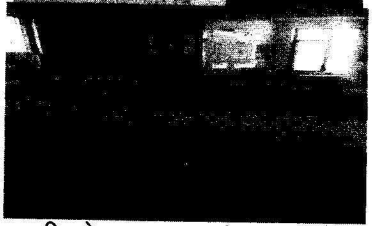
इमरेन्सी रुम में इमरजेन्सी ट्रे लेबल थी। रेफरल आउट रजिस्टर उपलब्ध था, किन्तु सभी कालम नहीं भरे जा रहे थे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से संबंधित अभिलेख सी0एच0सी0 में उपलब्ध नही थे। एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 नम्बर नहीं अंकित किये जा रहे थे। जे0एस0वाई0 का लाभार्थियों का भुगतान लंबित पाया गया। उक्त हेतु अभिलेख अद्यतन नही पाये गये। नियमानुसार सफाई न किये जाने के कारण अम्बू बैग में ब्लड लगा पाया गया एवं शौचालय अक्रियाशील पाया गया।	चिकित्सा अधीक्षिका को इसके बारे में व्यापक रुप से जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने का सुझाव दिया गया। समस्त सूचनायें अंकित करने का सुझाव दिया गया। समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया। टीम के सदस्यों द्वारा अभिलेखों को अद्यतन कराये जाने एवं उपकराणों को व्यवस्थित एवं साफ करके रखने के निर्देश दिये गये।	प्रभारी लेबर रुम एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
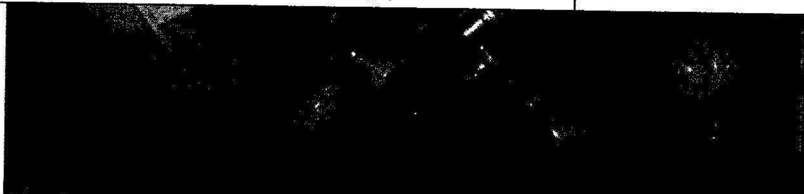		
एस0एन0सी0यू0 –		
एस0एन0सी0यू0 इकाई कियाशील पाई गई। टीम के सदस्यों को प्रदर्शित करने हेतु अनावश्यक बच्चों को एस0एन0सी0यू0 में भर्ती पाया गया। उक्त हेतु डा0 अनिल वर्मा ने अनावश्यक बच्चों को वार्ड में सिफ्ट करने को कहा एवं मानकानुसार बच्चों को भर्ती करने हेतु निर्देशित किया साथ ही आवश्यक मानकानुसर उपकरणों को रखने को बताया साथ, ही वहां पर तैनात चिकित्सक कों प्रशिक्षित किया।	तैनात चिकित्सक के प्रशिक्षिण के निर्देश दियें गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका एवं प्रभरी चिकित्सक एस0एन0सी0यू0 के स्तर से।

पाये गये किन्तु 102 एवं 108 एम्बुलेन्स की जानकारी होने के बावजूद कुछ मरीजों को व्यक्तिगत/प्राइवेट वाहनों से मरीजों को लाते एवं ले जाते पाया गया। इसी कम में वाहन संख्या UP 77 N 9914 मरीज को ले जाती पायी गयी।	ताकि समस्त रोगियों को समुचित जानकारी हो सके।	
परिवार नियोजन–		
परिवार नियोजन कार्यकम के अन्तर्गत लाजिस्टिक उपलब्धता एवं वितरण सम्बन्धी अभिलेखों का रख रखाव अच्छा नही था। गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	अभिलेखों के रख रखाव को ठीक करने के निर्देश दिये गये एवं तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	
वार्ड:–		
जे.एस.वाई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी। पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं की काउंसिलिंग सही तरीके से नहीं की जा रही थी।	वार्ड में संदेश मानकानुसार अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया। स्टाफ को प्रसूताओं को शीघ्र एवं केवल स्तनपान पर काउन्सिलिंग हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सालय पर तैनात मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, चिकित्साकों, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता।
मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पूर्ण रुप से नही भरा जा रहा था। रेफर किये गये केसेज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। किन्तु रेफरल रजिस्टर उपलब्ध पाया गया। ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एच0आर0पी0 का चिन्हिकरण नहीं किया जा रहा है।	पूर्ण रुप से भरकर संधारित करने का सुझाव दिया गया। रेफरल रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया।	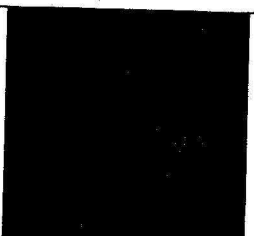
मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर अंकित नही किया जाता पाया गया। उक्त नम्बर होने की दशा में रिकार्ड संग्रहित करना एवं अनुश्रवण करना सम्भव नही है।	उक्त के कम में कठोर निर्देश दिये गये कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर अवश्य रूप से अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।	
नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारुप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट उपलब्ध थे। सिर्फ सहमति पत्र भरा जा रहा है, उसमें भी समस्त सूचनायें नहीं अंकित थीं। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि भरा हुआ नही पाया गया। मरीजों की संख्या अधिक थी अतः वार्ड में जगह की कमी देखी गयी। पंखे आदि की और व्यवस्था करने की आवश्यकता है। खिडकियों में पर्दे आदि लगवाने की आवश्कता है।	समस्त नवीन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने व दस्तावेजीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें।	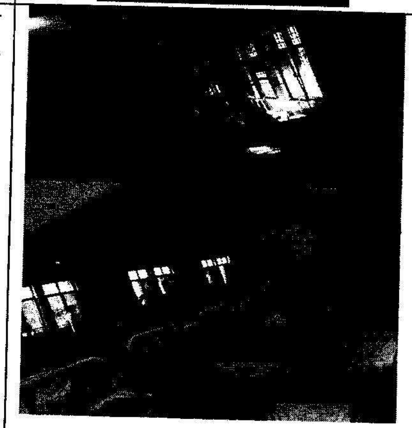

[illegible] से टीम की वार्ता–		
[illegible] को 108 एवं 102 की जानकारी पायी [illegible] किन्तु प्रसव उपरान्त आवश्यक जानकारी [illegible] अभाव पाया गया। लाभार्थी को जे0एस0एस0के के अन्तर्गत डाइट उपलब्ध कराया जा रहा था। उक्त हेतु भोजन का टैन्डर जनपद स्तर से किया गया है किन्तु भोजन जहां बनाया जा रहा था वो अत्यंत गंदा पाया गया।	उक्त हेतु चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता को नियमित जानकारी प्रदान करने के लिये कहा गया। भोजन बनाने के स्थान को साफ करने के निर्देश दिये गये। 	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं अधीक्षिका, चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता के स्तर से।

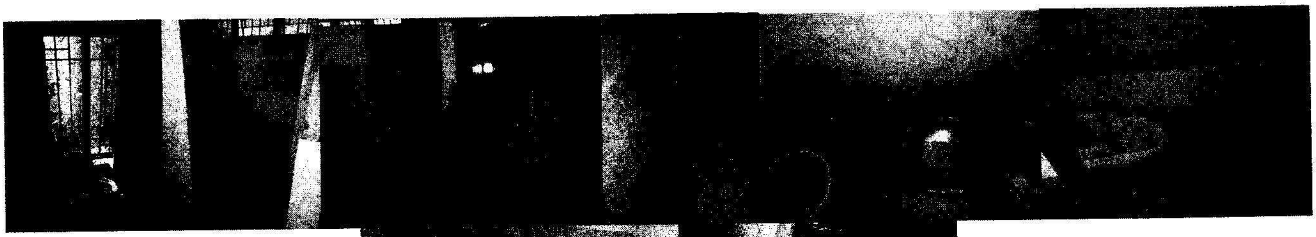

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –सरवनखेड़ा, कानपुर देहात

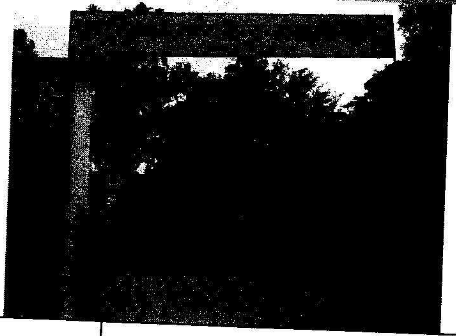

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	दायित्व
इकाई पर 01 प्रभारी चिकित्साधिकारी, 01 चिकित्सक, 03 स्टाफ नर्स, 01एन0एम0 कार्यरत थे। स्टाफ नर्स में 01 NSSK एवं SBA का प्रशिक्षण प्राप्त थी। अप्रशिक्षित चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण की आवश्यता है।	प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
परिसर की इमारत में मरमम्त की आवश्यकता है। परिसर में साफ–सफाई ब्यवस्था काफी असंतोषजनक पायी गयी। रंगाई–पुताई का कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई एवं मरमम्त कराये जाने का सुझाव दिया गया।	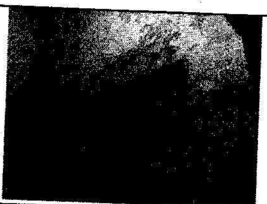
सिटीजन चार्टर डिस्प्ले एवं 5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था।	उचित स्थान पर डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें नहीं किया जा रहा था।	ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	
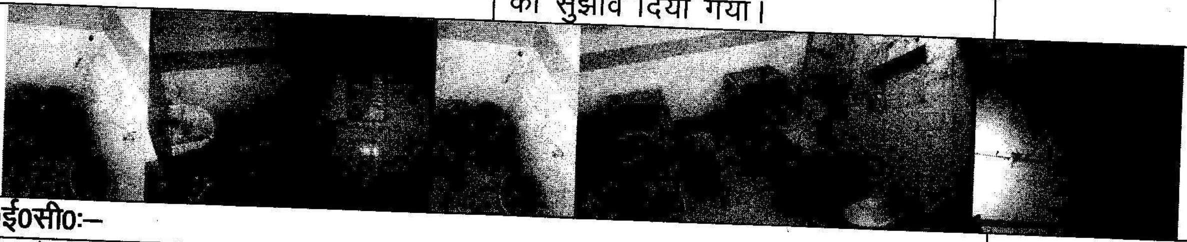		
आई0ई0सी0:–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 या तो उपलब्ध नहीं थी या मानकानुसार नही लगी पायी गयी।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।

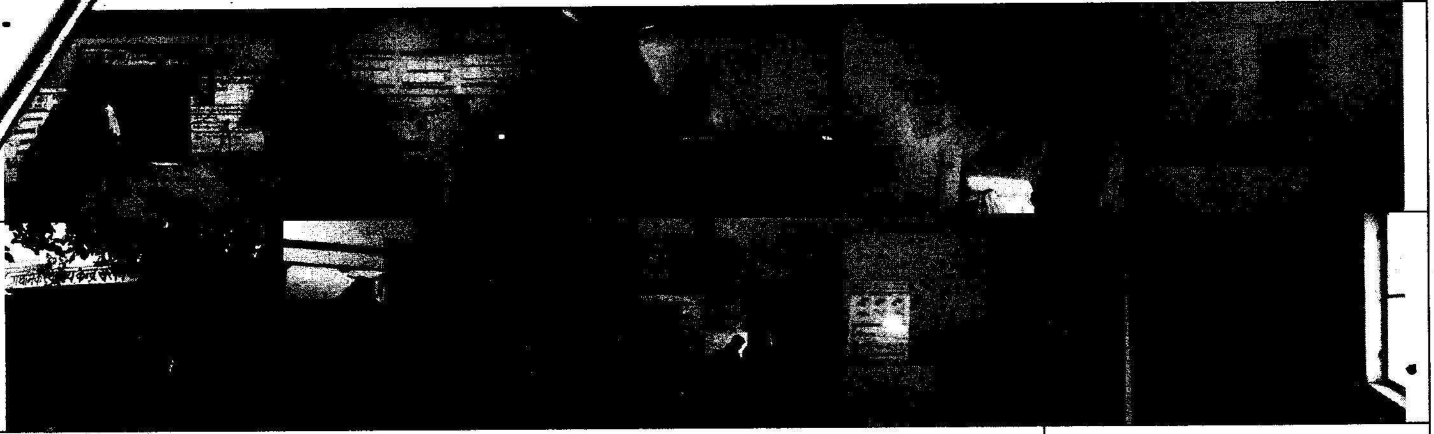

बी0पी0एम0यू0 कक्षः–		
कक्ष में अभिलेख अद्यतन नही पाये गये। सारे अभिलेख, प्रपत्र अव्यवस्थित रूप से रखे पाये गये। ओ0पी0डी0 रजिस्टर प्रिण्टेड नहीं थे। क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था।	ब्लाक एक नजर में कार्यक्रमवार समस्त उपलब्धियॉ, मानव संसाधन, सेवाओं का विवरण आदि चिकित्सा अधीक्षक कक्ष व बी0पी0एम0यू0 व स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कक्ष में लगवाने का सुझाव दिया गया। समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं श्री आलोक कुमार, बी0पी0एम0।
एम0सी0टी0एस0 की स्थिति –		
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री आनंद मिश्रा, एम0सी0टी0एस0 आपरेटर, परिसर में नही आता एवं एम0सी0टी0एस0 का रिकोर्ड भी नही चढाया जाता। टीम के सदस्यों द्वारा श्री मिश्रा से पूछने पर बताया गया कि वहा नेट न होने के कारण वो मुख्यालय में कार्य करता है एवं प्रपत्र लेने ही आता है। एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य प्रतिमाह कम होता पाया गया एवं अपडेशन शून्य पाया गया। आपरेटर को वर्कप्लान जनरेट कर पोर्टल को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया। एम0सी0टी0एस0 आपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य सन्तोषजनक न होने के लिए डाटा उपलब्ध न होना, अन्य कार्यो के भार के कारण समय न दे पाना, एजेन्सी द्वारा कम वेतन देना आदि कारण बताये गये। एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर द्वारा अन्य कार्यो के कारण पोर्टल पर गर्भवती महिला एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की स्थिति अत्यधिक कम पायी गयी। एम0सी0टी0एस0 पोर्टल से वर्कप्लान नियमित रुप से जनरेट नहीं किया जा रहा है। वर्कप्लान जेनेरेट कर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का समय से अपडेशन करने हेतु निर्देशित किया गया।	टीम के सदस्यों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से नेट का इंतजाम करने को एवं श्री मिश्रा को नियमित परिसर में अपने कार्य को सम्पदित करने का निर्देश दिया। टीम के सदस्य द्वारा पोर्टल अपडेट कराया गया एवं दुसरे दिन मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कार्यालय में जनपद के समस्त एम0सी0टी0एस0 आपरेटरों की बैठक कर प्रशिक्षित कर अपडेट करने के निर्देश दिये गयें 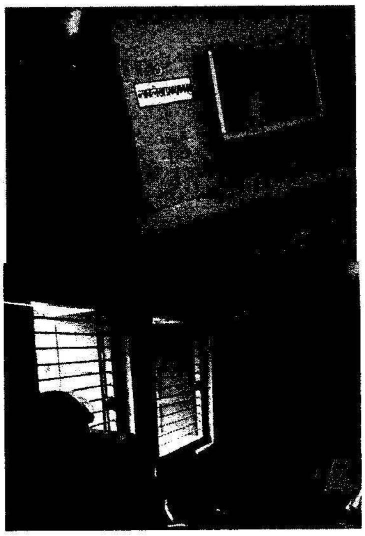	मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं एम0सी0टी0एस0 आपरेटर 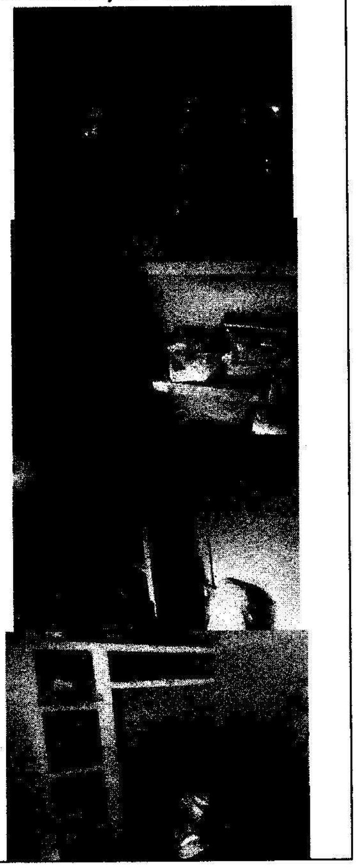

चिकित्सा प्रभारी महोदय द्वारा बताया गया कि श्री आनंद मिश्रा, एम0सी0टी0एस0 आपरेटर, परिसर में नही आता एवं एम0सी0टी0एस0 का रिकोर्ड भी नही चढाया जाता। टीम के सदस्यों द्वारा श्री मिश्रा से पूछने पर बताया गया कि वहा नेट न होने के कारण वो मुख्यालय में कार्य करता है एवं प्रपत्र लेने ही आता है। एम0सी0टी0एस0 आपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य सन्तोषजनक न होने के लिए डाटा उपलब्ध न होना, अन्य कार्यो के भार के कारण समय न दे पाना, एजेन्सी द्वारा कम वेतन देना आदि कारण बताये गये। एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर द्वारा अन्य कार्यो के कारण पोर्टल पर गर्भवती महिला एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की स्थिति अत्यधिक कम पायी गयी। एम0सी0टी0एस0 पोर्टल से वर्कप्लान नियमित रुप से जनरेट नहीं किया जा रहा है। वर्कप्लान जेनेरेट कर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का समय से अपडेशन करने हेतु निर्देशित किया गया।	टीम के सदस्यों ने चिकित्सा प्रभारी से नेट का इंतजाम करने को एवं श्री मिश्रा को नियमित परिसर में अपने कार्य को सम्पदित करने का निर्देश दिया। टीम के सदस्य द्वारा पोर्टल अपडेट कराया गया एवं दुसरे दिन मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कार्यालय में जनपद के समस्त एम0सी0टी0एस0 आपरेटरों की बैठक कर प्रशिक्षित कर अपडेट करने के निर्देश दिये गयैं 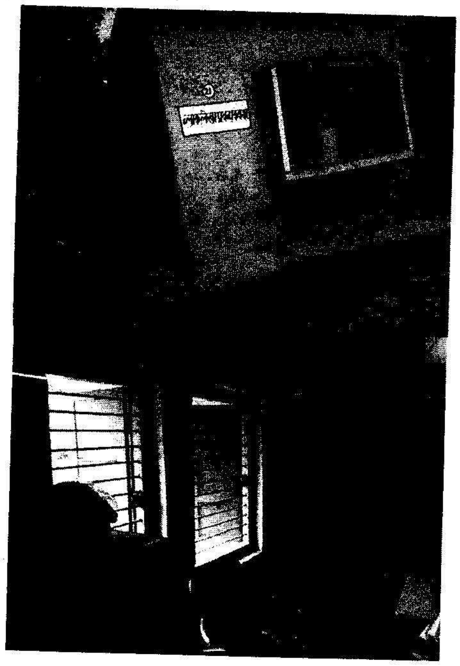	चिकित्सा प्रभारी एव एम0सी0टी0एस0 आपरेटर
लेबर रुमः–		
लेबर रुम अत्यन्त खराब स्थिति में है। लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स, हैण्डवाशिंग एरिया आदि नहीं पायी गयी।	एम0एन0एच0 टूल किट का अध्ययन करने व मेन्टर्स के सहयोग से लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।	ब्लाक पर तैनात **चिकित्सा** अधीक्षक एवं चिकित्सक **के** स्तर से।
लेबर रुम में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाया गया था। प्रसव कक्ष में पर्दे इत्यादि नही लगे थे। लेबर रुम में डिलीवरी टेबल पर कैलीस्पैड थे। चादरें नहीं थीं।	ड्यूटी चार्ट लगाये जाने का सुझाव दिया गया। पर्दे इत्यादि लगाने के लिये सुझाव दिया गया।	
लेबर रुम में डिजिटल घड़ी नहीं थी। चप्पलें व मास्क आदि उपलब्ध नहीं कराये गये थे।	समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	
डिलीवरी रजिस्टर में अंकित सूचनाओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अधिकांशता केसों में प्रथम स्तनपान मात्र 8–30 मिनट के मध्य कराया गया। जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत लाभार्थीओं का भुगतान लम्बित था। डिलीवर		

एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार यक ट्रे उपलब्ध नहीं थी। इमरजेंसी ट्रे में श्यक मेडिसिन उपलब्ध नहीं थीं। डिलीवर रूम में प्रोटोकॉल पोस्टर्स उपलब्ध नहीं थें और ना ही पार्टोग्राफ का प्रयोग में लाया जा रहा था। वॉश बेसिन बहुत गंदा था। प्रसव पश्चात देखभाल वार्ड में उचित सफाई नहीं थी।		
बायोमेडिकल वेस्ट–		
बॉयोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेन्ट एवं लाउड्री आदि सपोर्ट सर्विस सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। चिकित्सालय में Colour Codded Bins की काम चलाऊ व्यवस्था की गयी थी।	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी विगत चार माह से सेवायें नही दे रही है। उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है।	उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी से अपडेट करने व एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु फीडबैक देने का सुझाव दिया गया।	
स्टोर रुम:–		
स्टोर में उपलब्ध सामग्री का विवरण नहीं था। सामान व्यवस्थित थी किन्तु लेविलिंग नही की गई थी। एक्स्पाइरी दवायें पायी गयी। कण्डम सामान का निस्तारण नही किया जा रहा है।	व्यवस्थित तरीके से रखने व लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया। अप्रयोज्य सामग्री को निस्तारित कराने का सुझाव दिया गया।	ब्लाक पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक एवं भण्डार प्रभारी के स्तर सें।
फार्मासिस्ट द्वारा दवाईयों के रखरखाव एवं स्टाक बुक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। अधिकांश दवाईयों की अवधि एक–दो माह में खत्म होने जा रही है एवं कुछ एक्स्पाइरी दवायें भी प्राप्त हुई।	फीफो मेथड (FEFO Method – First Expiry First Out) उपयोगित करते हुए स्टाक खारीज करने का सुझाव दिया गया।	
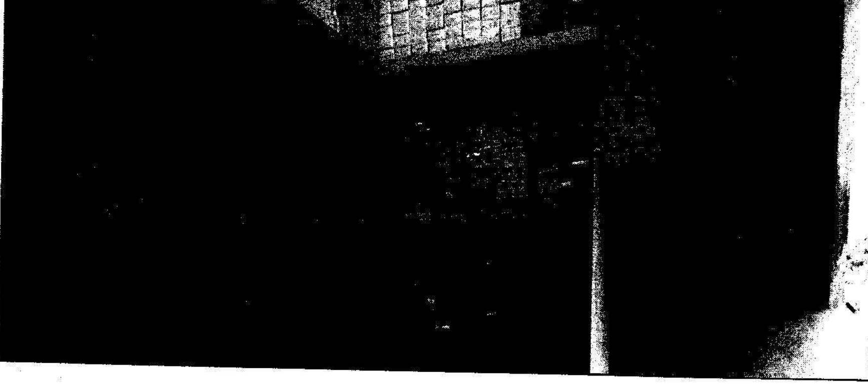		

वार्ड:–		
जे.एस.वाई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी।	वार्ड में संदेश अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं की काउंसिलिंग सही तरीके से नहीं की जा रही थी। Serum Bilirubin and RPR आदि जाचें नहीं हो रही है।	स्टाफ को प्रसूताओं को शीघ्र एवं केवल स्तनपान पर काउन्सिलिंग हेतु सुझाव दिया गया।	
प्रिण्टिंग सामग्री–		
नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारुप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट उपलब्ध थे। सिर्फ सहमति पत्र भरा जा रहा है, उसमें भी समस्त सूचनायें नहीं अंकित थीं। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि भरा हुआ नही पाया गया।	समस्त नवीन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने व दस्तावेजीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पूर्ण रुप से नही भरा जा रहा था।	पूर्ण रुप से भरकर संधारित करने का सुझाव दिया गया।	
रेफर किये गये केसेज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। किन्तु रेफरल रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।	रेफरल रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया।	
ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एच0आर0पी0 का चिन्हिकरण नहीं किया जा रहा है।		
आर.बी.एस.के.टीमः–		
आर.बी.एस.के. टीमों के वाहन की लागबुक भरी जा रही हैं। लागबुक में मीटर रीडिंग व यात्रा प्रारम्भ किये जाने व वापसी का समय अंकित नहीं था। टीम के रिकार्ड अधूरे भरे गये थे। अधिकांश कालमों में सूचनायें नहीं भरी गयी थी।	निर्धारित प्रिण्टेड लागबुक प्रयोग करने व नियमित भरने का सुझाव दिया गया।	आर0बी0एस0के0 टीम के चिकित्सक के स्तर सें।
टीमों के पास उपलब्ध आई0एफ0ए0 टेबलेट व सैनेट्री नैपकिन का भली भॉति उपयोग नहीं किया जा रहा है।		
लाजिस्टिक एवं उपकरणः–		
स्वास्थ्य इकाई पर निःशुल्क आपूर्ति के गर्भनिरोधक उपलब्ध नहीं थे। स्वास्थ्य इकाई पर भी आशा सप्लाई के गर्भनिरोधक ए0एन0एम0 के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे।	समस्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध व क्रियाशील होने चाहिए। प्रत्येक प्रकार के लाजिस्टिक की मॉग कर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। सम्बन्धित मानव संसाधन को उपलब्ध उपकरणों का संचालन व संक्रमण से बचाव सम्बन्धी जानकारियों से अपडेट कराया जाये।	

...न्सः–		
...बुलेन्स उपस्थित पायी गयी। लॉग बुक ...द्यतन पायी गयी किन्तु वाहन चालक एवं पायलट को अकस्मिक स्थिति में दायित्वों का ज्ञान नही पाया गया एवं अव्यवस्थित स्थिति में उपकरण एवं औषधियों का बाक्स रखा पाया गया।	टीम के सदस्यों द्वारा वाहन चालक एवं पाइलट को निर्देश दिये गये कि वाहन की सामग्री एवं अभिलेख व्यवस्थित करें।	ब्लाक स्तर पर तैनात सम्बन्धित वाहनों के वाहन चालक एवं पाइलट के स्तर सें।
परिवार नियोजन–		
होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के तहत आशाओं को गर्भनिरोधक सामग्री के वितरण हेतु मॉगपत्र नहीं भरे जा रहे हैं।	होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया जाये व प्रत्येक आशा के मांग के अनुरूप (प्रपत्र ए भरवाकर) गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण आशाओं को नियमित रूप से किया जाय तथा ईकाई स्तर पर गर्भनिरोधक सामग्रियों की निरन्तरता बनाये रखने हेतु तीन माह या 25 प्रतिशत बफर स्टाक रखकर मॉगपत्र समय से प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सकों के स्तर सें।

धन्यवाद

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)	(श्री अभय द्विवेद्वी)	(सौरभ तिवारी)	(श्री शिव जयसवाल)
महाप्रबंधक	तकनीकी सलाहकार	तकनीकी सलाहकार	डाटा एनालिस्ट

जनपद– कानपुर देहात

भ्रमण अवधि– दिनांक 05.10.2017 से 07.10.2017

राज्य स्तरीय टीम

1. डा0 अनिल वर्मा, महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य।
2. श्री अभय द्विवेद्वी, तकनीकी सलाहकार, एन0सी0डी0।
3. श्री सौरभ तिवारी, तकनीकी सलाहकार, आर0के0एस0के0।
4. श्री शिव जयसवाल, डाटा एनालिस्ट, एम0आई0एस0।

[illegible]पुर ब्लाक मलासा कानपुर देहात

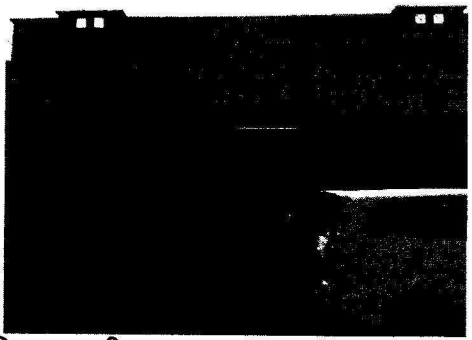

सम्पर्क अधिकारी– डा0 विकास –चिकित्सा अधीक्षक, डा0 जया

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	दायित्व
इकाई पर 01 चिकित्सा प्रभारी, 01 चिकित्सक, 2 महिला मेडिकल अफिसर , 01 स्टाफ नर्स, 04 स्टाफ नर्स संविदा की कार्यरत थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पर लगभग 80–100 प्रसव प्रतिमाह कराये जाते है।	समस्त चिकित्सकों, स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को आवश्यकतानुसार SBA/BEmOC, PPIUCD, NSSK, RKSK के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 2 महिला मेडिकल अफिसर एवं संविदा स्टाफ नर्स मात्र पी0पी0आई0यू0सी0डी0 का प्रशिक्षण प्राप्त करी पायी गयी।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
चिकित्सालय परिसरः–		
चिकित्सालय का बोर्ड मुख्य मार्ग पर लगा हुआ था किन्तु पहुचने के संकेतक नही लगे थे। रैन बसेरा उपलब्ध है किन्तु प्रयोग नही किया जा रहा है।	मुख्य मार्ग पर बड़े आकार का बोर्ड मानकानुसार एवं संकेतक मार्ग पर लगानें का सुझाव दिया गया। रैन बसेरा में सफाई कराके प्रयोग में लाने के निर्देश दिये गये।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
सम्पर्क मार्ग जर्जर स्थिति में हैं।	समस्त चिकित्सालयों के सम्पर्क मार्ग की स्थिति सुधारने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा आसवस्थ किया गया।	जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से।
परिसर में साफ–सफाई ब्यवस्था काफी असंतोषजनक पायी गयी। चिकित्सालय परिसर हेतु एक भी सफाई कर्मचारी तैनात नही है।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने एवं सफाई कर्मचारी की तैनाती कराना सुनिश्चित किया जाना है।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।

नई व्हीलचेयर अंदर रखी पायी गयी। सिटीजन चार्टर डिस्प्ले नही पाया गया।	व्हीलचेयर रोगियों हेतु परिसर के बरामदे में रखवायी गयी। डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था। ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें नहीं किया जा रहा था। शिकायत पेटिका उपयोग में नही था।	5'5 मैट्रिक्स उपयुक्त स्थानों पर लगाने का सुझाव दिया गया। ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया। शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व मानकानुसार क्रियाशील करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
आशा का मास्टर पेमेण्ट रजिस्टर उपलब्ध नही है अपितु विभिन्न रजिस्टरों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। आशा शिकायत निवारण समिति के गठन के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाणिक अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। तथा कोई भी वाल राइटिंग उपलब्ध नही थी। आशा की क्लटर मिटिंग रजिस्ट में मीटिंग मिनट विधिवत नही लिखे गये थे। आशा शिकायत निवारण पेटिका नहीं लगा था। आशाओं का वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर 10 दिनों में प्रत्येक आशावार प्रत्येक कालम भरे हुए जॉच कर बी0पी0एम0/एच0ई0ओ0 केन्द्र के चिकित्साधिकारी से अवलोकित करायें।	आशा शिकायत निवारण पेटिका सही जगह लगाने व आशा शिकायत, निवारण एवं उपस्थिति रजिस्टर मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें। 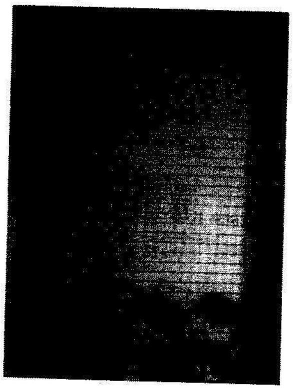
आई0ई0सी0:–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी एवं जो लगी पायी गयी वो मानकानुसार नही लगायी गयी थी।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	टीम के सदस्यों द्वारा चिकित्सा अधीक्षक के सहयोग से कुछ डिस्प्लें लगवाये गये। मुख्य चिकित्साधिकारी से IEC सामग्री उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
चिकित्सा अधीक्षक व बी0पी0एम0यू0 कक्षः–		
चिकित्सा अधीक्षक कक्ष की स्थिति ठीक थी किन्तु बी0पी0एम0यू0 कक्ष में सफाई एवं व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है। क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था एवं भरी नही जा रही थी। कर्मियों को मानदेय नियमित रुप से नहीं दिया जा रहा है। रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर अपडेटेड नही था।	रिकोर्ड अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये गये। समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित का भुगतान कराने का निर्देश दिया गया। नियमित रुप से अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	ब्लाक पर तैनात बी0पी0एम0 स्तर से।

• थियेटरः–		
शन थियेटर में शीशे आदि टूटे हुए थे। ली के उपकरण भी खराब थे।	आपरेशन थियेटर मानक के अनुरुप व समस्त सम्बन्धित रिकार्ड मेण्टेन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	डा0 जया, महिला चिकित्सक के स्तर से।
लेबर रुमः–		
लेबर रुम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स, हैण्डवाशिंग एरिया आदि नहीं पायी गयी, लेबलिंग नियमानुसार नहीं की गयी थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व मेन्टर्स के सहयोग से लेबर रुम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक एवं महिला चिकित्सक के स्तर से।
लेबर रुम में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाया गया था। प्रसव कक्ष में पर्दे इत्यादि नही लगे थे। लेबर रुम में डिलीवरी टेबल पर कैलीस्पैड नहीं थीं एवं जंक लगी हुयी पायी गयी।	ड्यूटी चार्ट लगाये जाने का सुझाव दिया गया। पर्दे इत्यादि लगाने के लिये सुझाव दिया गया। टेबल आदि को पेन्ट कराने एवं आवश्यकत वस्तुयें उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गयें।	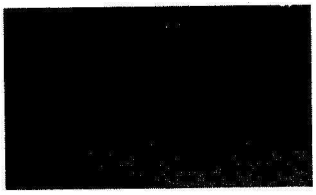
लेबर रुम में डिजिटल घड़ी नहीं थी। चप्पलें व मास्क आदि उपलब्ध नहीं कराये गये थे। प्रसव कक्ष के साथ शौचालय भी नहीं था। पार्टोग्राफ नही भरा जा रहा था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत डाइट रजिस्टर सही ढंग से लिखे नही जा रहे थे।	समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया। नर्स मेण्टर का सहयोग लिए जाने का सुझाव दिया गया।	
इमरजेन्सी रुम में इमरजेन्सी ट्रे लेबल नही थी। रेफरल आउट रजिस्टर उपलब्ध था, किन्तु सभी कालम नहीं भरे जा रहे थे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से संबंधित अभिलेख सी0एच0सी0 में उपलब्ध नही थे। प्रसव कक्ष में बेड के नीचे गन्दी ईंटे रखी हुई थीं। एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर में एवं जच्चा बच्चा कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर नहीं अंकित किये जा रहे थे।	चिकित्साधिकारी को इसके बारे में ब्यापक रुप से जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने का सुझाव दिया गया। समस्त सूचनायें अंकित करने का सुझाव दिया गया। चिकित्साधिकारी को इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने व सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
जे0एस0वाई0 का भुगतान पिछले माह में 24 लाभार्थियों का लंबित पाया गया। उक्त हेतु अभिलेख अद्यतन नही पाये गये एवं कुछ अलमारी में बंद पाये गये।	टीम के सदस्यों द्वारा अभिलेखों को अद्यतन कराये जाने एवं समस्त अलमारी की चाबियां चिकित्सालय में उपलब्ध होने के निर्देश दिये गये।	ब्लाक पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक एवं श्री राजेश, बी0ए0एम0 के स्तर सें।
यामेडिकल वेस्ट–		
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी नाम मात्र का कार्य कर रहा है। एजेन्सी न तों पुराना पैसा ले रहा है और न ही बीजक उपलब्ध करा रहा है। एजेन्सी कर्मचारियों से टीम के सदस्यों से हुई वार्ता के कम में अवगत कराया गया कि उनको सप्ताह में दो बार आने के आदेश है।	उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी से अपडेट करने व एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु फीडबैक देने का सुझाव दिया गया।	जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधीक्षक महोदय के स्तर से।
चिकित्सालय में Colour Codded Bins की काम चलाऊ ब्यवस्था की गयी थी। परिसर में पिट् अपूर्ण एवं अकियाशील पाया गया।	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	

स्टोर रुमः–		
स्टोर में उपलब्ध सामग्री का विवरण नहीं था। सामान ब्यवस्थित नहीं थे। एक्स्पाइरी दवायें पायी गयी। कण्डम सामान का निस्तारण नही किया जा रहा है।	ब्यवस्थित तरीके से रखने व लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया। अप्रयोज्य सामग्री को निस्तारित कराने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक एवं भण्डार प्रभारी के स्तर सें।
फार्मासिस्ट द्वारा दवाईयों के रखरखाव एवं स्टाक बुक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। अधिकांश दवाईयों की अवधि एक–दो माह में खत्म होने जा रही है। आयरन हेतु आई0वी0 इन्जैक्शन नही पाये गये।	फीफो मेथड (FEFO Method – First Expiry First Out) उपयोगित करते हुए स्टाक खारीज करने का सुझाव दिया गया।	
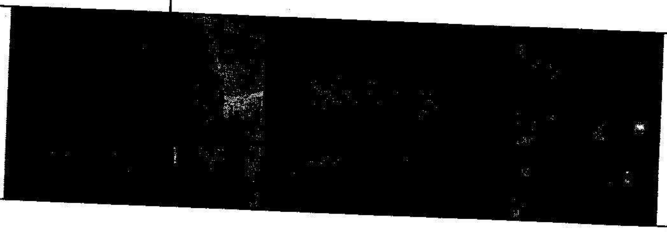		
वार्डः–		
जे.एस.वाई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी। पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं की काउंसिलिंग सही तरीके से नहीं की जा रही थी।	वार्ड में संदेश मानकानुसार अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया। स्टाफ को प्रसूताओं को शीघ्र एवं केवल स्तनपान पर काउन्सिलिंग हेतु सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सक के स्तर से।
प्रिण्टिंग सामग्री–		
मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पूर्ण रुप से नही भरा जा रहा था। रेफर किये गये केसेज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। किन्तु रेफरल रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया। ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एच0आर0पी0 का चिन्हिकरण नहीं किया जा रहा है।	पूर्ण रुप से भरकर संधारित करने का सुझाव दिया गया। रेफरल रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सक के स्तर से।
नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारुप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट उपलब्ध थे। सिर्फ सहमति पत्र भरा जा रहा है, उसमें भी समस्त सूचनायें नहीं अंकित थीं। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि भरा हुआ नही पाया गया।	समस्त नवीन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने व दस्तावेजीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें।	
आर.बी.एस.के.टीमः–		
आर0बी0एस0के0 टीम का भ्रमण कार्य संतोषजनक नहीं है। टीम सदस्यो द्वारा निर्धारित रजिस्टर का इस्तेमाल नही किया जा रहा है एवं न ही वाहन की लागबुक भरी जा रही हैं। टीम के रिकार्ड अधूरे भरे गये थे। टीमों के पास विजन चार्ट उपलब्ध नहीं थे। विफस आदि की रिपोर्टिंग जनपद की नही की जा रही। जनपद स्तर से उक्त हेतु ब्लाक को दोष दिया जाता। आर.बी.एस.के. टीम के सदस्यों को विफस आदि की नियमित रिपोर्ट ब्लाक स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया।	निर्धारित प्रिण्टेड लागबुक प्रयोग करने व नियमित भरने का सुझाव दिया गया। जिलाधिकारी महोदय की बैठक में जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करें क्योकि जब तक ब्लाक स्तर से रिपोर्ट नही आयेगी तो जिला स्तर पर संकलित नही किया जा सकेगा।	आर0बी0एस0के0 टीम के चिकित्सक के स्तर सें।

टक एवं उपकरणः–		
मशीन उपलब्ध है किन्तु टैक्नीशियन उपलब्ध न होने के कारण एक्सरे नही किया जाता है। बिजली के तार जगह जगह खुले पाये गयें।	समस्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध व क्रियाशील होने चाहिए। प्रत्येक प्रकार के लाजिस्टिक की मॉग कर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। सम्बन्धित मानव संसाधन को उपलब्ध उपकरणों का संचालन व संक्रमण से बचाव सम्बन्धी जानकारियों से अपडेट कराया जाये एवं प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।	महानिदेशक, चि0स्वा0एवं परि0कल्या0, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर सें। 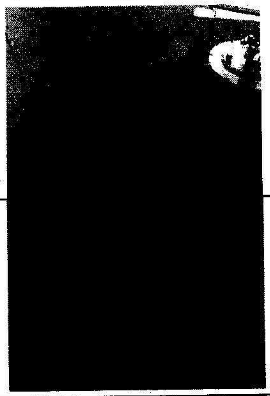
स्वास्थ्य इकाई पर निःशुल्क आपूर्ति के गर्भनिरोधक उपलब्ध नहीं थे। स्वास्थ्य इकाई पर भी आशा सप्लाई के गर्भनिरोधक ए0एन0एम0 के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे।		
एम्बुलेन्सः–		
102 एम्बुलेन्स UP 41G–2672 में आक्सीजन सीलेण्डर की चाभी उपलब्ध नहीं थी। ए0सी0 व हूटर खराब था। दवाओं के बाक्स देख कर प्रतीत होता था कि जबसे आया है कभी खोला तक नही गया है।	टीम के सदस्यों द्वारा वाहन चालक एवं पाइलट को निर्देश दिये गये कि वाहन की सामग्री एवं अभिलेख व्यवस्थित करें।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला EMTS अधिकारी सम्बन्धित वाहनों के वाहन चालक एवं पाइलट के स्तर सें।
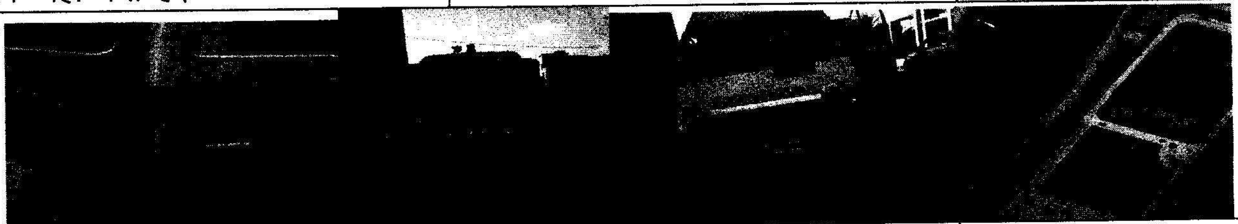		
परिवार नियोजन–		
परिवार नियोजन कार्यकम के अन्तर्गत लाजिस्टिक उपलब्धता एवं वितरण सम्बन्धी अभिलेखों का रख रखाव अच्छा नही था। गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	अभिलेखों के रख रखाव को ठीक करने के निर्देश दिये गये एवं तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	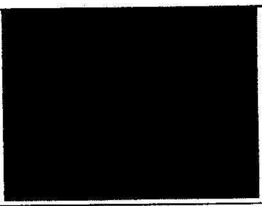
एम0आई0एस0–		
रोगियों से टीम की वार्ता–		
रोगियों को 108 एवं 102 की एवं प्रसव उपरान्त आवश्यक जानकारी का अभाव पाया गया। लाभार्थी को जे0एस0एस0के के अन्तर्गत डाइट उपलब्ध कराया जा रहा था। उक्त हेतु भोजन का टैन्डर जनपद स्तर से किया गया है।	उक्त हेतु चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता को नियमित जानकारी प्रदान करने के लिये कहा गया।	चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता के स्तर से।

संयुक्त जिला चिकित्सालय, कानपुर देहात

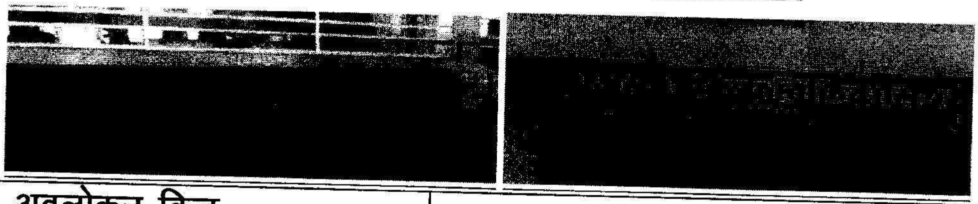

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	दायित्व
चिकित्सालय परिसरः–		
संयुक्त जिला चिकित्सालय एवं जिला पुरूष एवं महिला चिकित्सालय की बिल्डिंग आपस में जुडी है। चिकित्सालय तक पहुचने के संकेतक नही लगे थे।	मुख्य मार्ग पर बड़े आकार का बोर्ड मानकानुसार एवं संकेतक मार्ग पर लगानें का सुझाव दिया गया।	डा0 पंकज श्रीवास्तव, मुख चिकित्सा अधीक्षक एवं डा कुमकुम शर्मा, मुख्य चिकित्स अधीक्षिका के स्तर से।
सम्पर्क मार्ग जर्जर स्थिति में हैं। चिकित्सालय के समक्ष नवीन ट्रामा सेन्टर का निर्माण हुआ है किन्तु ठीक चिकित्सालय के सामने जल भराव रहता है एवं पानी की निकासी का कोई माध्यम उपलब्ध नही है।	टीम द्वारा जिलाधिकारी महोदय से समय लेकर जिलाधिकारी महोदय से हस्ताक्षेप का अनुरोध किया गया एवं उनके निर्देश के क्रम में पानी हटवा दिया गया। मार्ग की मरम्मत शीध्र कराने का आश्वासन दिया गया।	जनपद स्तर से।
परिसर में साफ–सफाई व्यवस्था काफी असंतोषजनक पायी गयी। सीढीयों के किनारे पान के दाग आदि पाये गये। परिसर में कई स्थानों पर घास आदि उगी हुई पायी गयी। परिसर के अन्दर मवेसी आ जाते है जिसके रोकने हेतु मार्ग में पाइप लगवाने को कहा गया। परिसर की बाउडरी से लगी कई दवाओं की दुकानें खुली हुई पायी गयी। पार्किंग की व्यवस्था चिकित्सालय में नही है और कुछ कर्मचारियों की गाडियां बिल्डिंग के अंदर खडी हुई पायी गयी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया एवं सफाई कर्मचारी की तैनाती कराना सुनिश्चित किया जाना है। पार्किंग हेतु एक गार्ड को रखने का सुझाव दिया गया एवं जितनी दवाओं के दुकाने परिसर के अंदर संचालित है उन्हें वहां से हटाने का निर्देश दिये गये। टीम के निर्देश के क्रम में अनायास उगी घास हटायी गयी।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं अधीक्षिका के स्तर से।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से ज्ञात हुआ कि चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से तद्दिनांक तक आर0के0एस0 फण्ड चिकित्सालय में नही आया और उक्त हेतु न तो अपेक्षित कार्यवाही श्री ज्ञान प्रकाश, UDC द्वारा की गई और न हि पूर्व के अभिलेखों का रिकार्ड दिया गया।	आर0के0एस0 फण्ड हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से विस्तृत चर्चा उपरान्त समस्त चिकित्सालयों को उपलब्ध करा दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं अधीक्षिका के स्तर से।

• त पेटिका एवं सुझाव पेटिका तो अस्पताल र में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व स्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने की आवश्यकता है।	निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं अधीक्षिका के स्तर से। 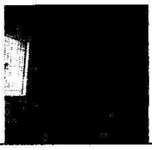
आई0ई0सी0:–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध नहीं थी एवं जो लगी पायी गयी वो मानकानुसार नही लगायी गयी थी। कक्ष संख्या एवं चिकित्साकों का विवरण दिवाल लेखन पाया गया।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	टीम के सदस्यों द्वारा चिकित्सा अधीक्षक के सहयोग से कुछ डिस्प्लें लगवाये गये तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से IEC सामग्री उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षिका एवं क्वालिटी मैनेजर व कम्प्यूटर कक्षः–		
चिकित्सा अधीक्षक कक्ष की स्थिति ठीक थी किन्तु क्वालिटी मैनेजर व कम्प्यूटर कक्ष में सफाई एवं व्यवस्थित कराने की आवश्यकता है। क्वालिटी मैनेजर कक्ष में पुताई की आवश्यकता है।	रिकोर्ड अभिलेखों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षिका एवं क्वालिटी मैनेजर के स्तर से।
क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था एवं भरी नही जा रही थी।	समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया।	
कर्मियों को मानदेय नियमित रुप से नहीं दिया जा रहा है। अभिलेखों के अद्यतन कराने की आवश्यकता है।	मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित का भुगतान कराने का निर्देश दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के स्तर से।
रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर अपडेटेड नही था।	नियमित रुप से अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	

आपरेशन थियेटरः—		
आपरेशन थियेटर में शीशे आदि टूटे हुए थे। बिजली के उपकरण भी खराब थे।	आपरेशन थियेटर मानक के अनुरुप व समस्त सम्बन्धित रिकार्ड मेण्टेन कराये जाने का सुझाव दिया गया।	तैनात चिकित्सा अधीक्षिका एवं चिकित्सकों के स्तर से।
लेबर रुमः—		
लेबर रुम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स, हैण्डवाशिंग एरिया आदि मानकानुसार नहीं पायी गयी, लेबलिंग नियमानुसार नहीं की गयी थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व मेन्टर्स के सहयोग से लेबर रुम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सालय पर तैनात चिकित्सा अधीक्षिका एवं चिकित्सकों के स्तर से।
लेबर रुम में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाया गया था। प्रसव कक्ष में पर्दे इत्यादि नही लगे थे। लेबर रुम में डिलीवरी टेबल पर कैलीसपैड थीं किन्तु पैंट कराने की आवश्यकता पायी गयी।	ड्यूटी चार्ट लगाये जाने का सुझाव दिया गया। पर्दे इत्यादि लगाने के लिये सुझाव दिया गया। टेबल आदि को पेन्ट कराने एवं आवश्यक औषधियों/सामग्री उपलब्ध कराये जाने के लिये मु.चि0.अधी0 से अनुरोध किया गया।	
लेबर रुम में डिजिटल घड़ी नहीं थी। चप्पलें व मास्क आदि उपलब्ध थे। पार्टोग्राफ नही भरा जा रहा था। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत डाइट रजिस्टर सही ढंग से लिखे नही जा रहे थे।	समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	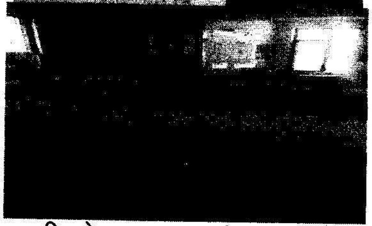
इमरेन्सी रुम में इमरजेन्सी ट्रे लेबल थी। रेफरल आउट रजिस्टर उपलब्ध था, किन्तु सभी कालम नहीं भरे जा रहे थे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से संबंधित अभिलेख सी0एच0सी0 में उपलब्ध नही थे। एम0सी0टी0एस0 रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 नम्बर नहीं अंकित किये जा रहे थे। जे0एस0वाई0 का लाभार्थियों का भुगतान लंबित पाया गया। उक्त हेतु अभिलेख अद्यतन नही पाये गये। नियमानुसार सफाई न किये जाने के कारण अम्बू बैग में ब्लड लगा पाया गया एवं शौचालय अक्रियाशील पाया गया।	चिकित्सा अधीक्षिका को इसके बारे में व्यापक रुप से जानकारी प्रदान करते हुए ठीक कराने का सुझाव दिया गया। समस्त सूचनायें अंकित करने का सुझाव दिया गया। समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया। टीम के सदस्यों द्वारा अभिलेखों को अद्यतन कराये जाने एवं उपकराणों को व्यवस्थित एवं साफ करके रखने के निर्देश दिये गये।	प्रभारी लेबर रुम एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

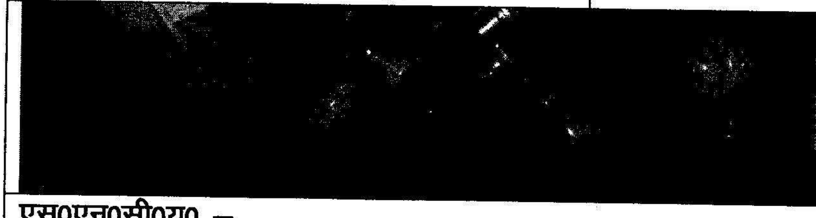
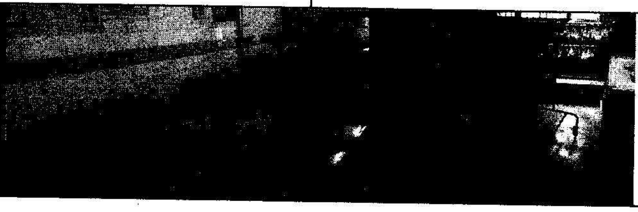

एस0एन0सी0यू0 —		
एस0एन0सी0यू0 इकाई कियाशील पाई गई। टीम के सदस्यों को प्रदर्शित करने हेतु अनावश्यक बच्चों को एस0एन0सी0यू0 में भर्ती पाया गया। उक्त हेतु डा0 अनिल वर्मा ने अनावश्यक बच्चों को वार्ड में सिफ्ट करने को कहा एवं मानकानुसार बच्चों को भर्ती करने हेतु निर्देशित किया साथ ही आवश्यक मानकानुसर उपकरणों को रखने को बताया साथ, ही वहां पर तैनात चिकित्सक कों प्रशिक्षित किया।	तैनात चिकित्सक के प्रशिक्षिण के निर्देश दियें गये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका एवं प्रभरी चिकित्सक एस0एन0सी0यू0 के स्तर से।

पाये गये किन्तु 102 एवं 108 एम्बुलेन्स की जानकारी होने के बावजूद कुछ मरीजों को व्यक्तिगत/प्राइवेट वाहनों से मरीजों को लाते एवं ले जाते पाया गया। इसी कम में वाहन संख्या UP 77 N 9914 मरीज को ले जाती पायी गयी।	ताकि समस्त रोगियों को समुचित जानकारी हो सके।	
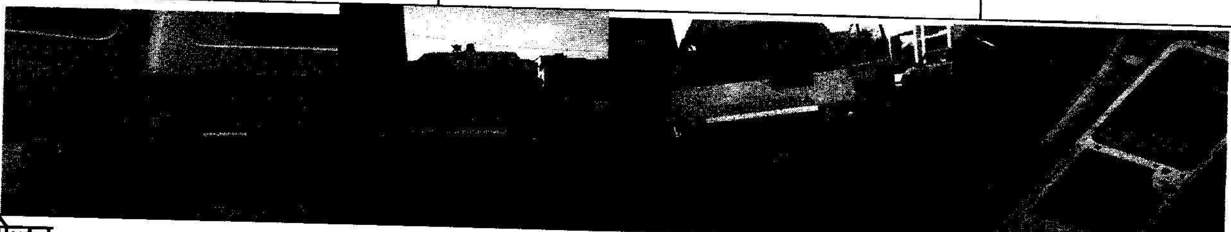		
परिवार नियोजन–		
परिवार नियोजन कार्यकम के अन्तर्गत लाजिस्टिक उपलब्धता एवं वितरण सम्बन्धी अभिलेखों का रख रखाव अच्छा नही था। गर्भनिरोधक साधनों को स्टॉक निर्धारित फार्मेट पर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है।	अभिलेखों के रख रखाव को ठीक करने के निर्देश दिये गये एवं तीन माह का बफर स्टाक रखते हुए समय पर जनपद से मांग की जाये।	
वार्डः–		
जे.एस.वाई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी। पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं की काउंसिलिंग सही तरीके से नहीं की जा रही थी।	वार्ड में संदेश मानकानुसार अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया। स्टाफ को प्रसूताओं को शीघ्र एवं केवल स्तनपान पर काउन्सिलिंग हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सालय पर तैनात मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, चिकित्साकों, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता।
मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पूर्ण रुप से नही भरा जा रहा था। रेफर किये गये केसेज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। किन्तु रेफरल रजिस्टर उपलब्ध पाया गया। ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एच0आर0पी0 का चिन्हिकरण नहीं किया जा रहा है।	पूर्ण रुप से भरकर संधारित करने का सुझाव दिया गया। रेफरल रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया।	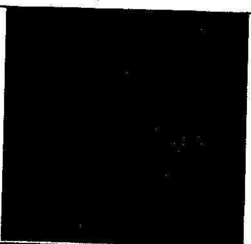
मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर अंकित नही किया जाता पाया गया। उक्त नम्बर होने की दशा में रिकार्ड संग्रहित करना एवं अनुश्रवण करना सम्भव नही है।	उक्त के कम में कठोर निर्देश दिये गये कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर अवश्य रूप से अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।	
नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारुप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट उपलब्ध थे। सिर्फ सहमति पत्र भरा जा रहा है, उसमें भी समस्त सूचनायें नहीं अंकित थीं। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि भरा हुआ नही पाया गया। मरीजों की संख्या अधिक थी अतः वार्ड में जगह की कमी देखी गयी। पंखे आदि की और व्यवस्था करने की आवश्यकता है। खिडकियों में पर्दे आदि लगवाने की आवश्कता है।	समस्त नवीन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने व दस्तावेजीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें।	

से टीम की वार्ता–		
ा को 108 एवं 102 की जानकारी पायी किन्तु प्रसव उपरान्त आवश्यक जानकारी का अभाव पाया गया। लाभार्थी को जे0एस0एस0के के अन्तर्गत डाइट उपलब्ध कराया जा रहा था। उक्त हेतु भोजन का टैन्डर जनपद स्तर से किया गया है किन्तु भोजन जहां बनाया जा रहा था वो अत्यंत गंदा पाया गया।	उक्त हेतु चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता को नियमित जानकारी प्रदान करने के लिये कहा गया। भोजन बनाने के स्थान को साफ करने के निर्देश दिये गये। 	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं अधीक्षिका, चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं परामर्शदाता के स्तर से।

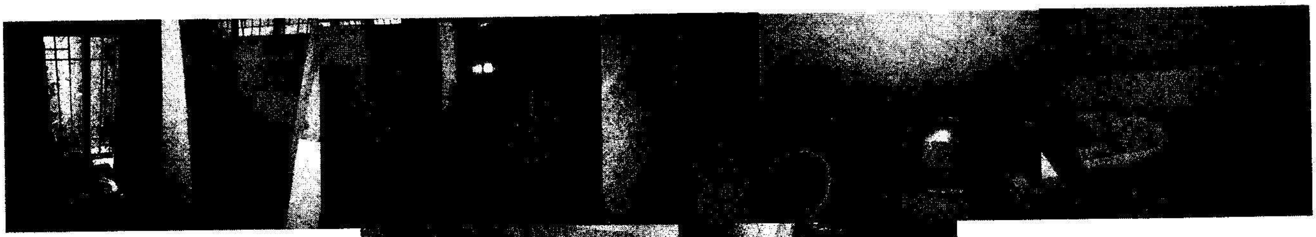

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र –सरवनखेड़ा, कानपुर देहात

अवलोकन बिन्दु	सुझाव	दायित्व
इकाई पर 01 प्रभारी चिकित्साधिकारी, 01 चिकित्सक, 03 स्टाफ नर्स, 01एन0एम0 कार्यरत थे। स्टाफ नर्स में 01 NSSK एवं SBA का प्रशिक्षण प्राप्त थी। अप्रशिक्षित चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण की आवश्यता है।	प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।	मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
परिसर की इमारत में मरमम्त की आवश्यकता है। परिसर में साफ–सफाई ब्यवस्था काफी असंतोषजनक पायी गयी। रंगाई–पुताई का कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता है।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई एवं मरमम्त कराये जाने का सुझाव दिया गया।	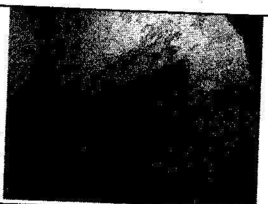
सिटीजन चार्टर डिस्प्ले एवं 5'5 मैट्रिक्स डिस्प्ले नहीं था।	उचित स्थान पर डिस्प्ले करने का सुझाव दिया गया।	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें नहीं किया जा रहा था।	ई0डी0एल0 का प्रर्दशन नियमित रुप सें किये जाने तथा प्रतिदिन अपडेट करने का सुझाव दिया गया।	
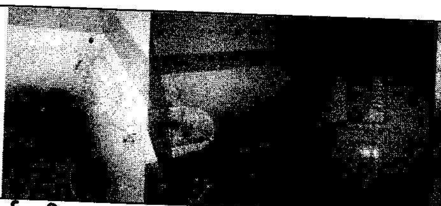 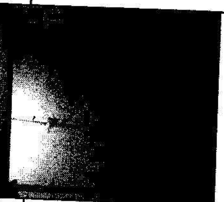		
आई0ई0सी0:–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 या तो उपलब्ध नहीं थी या मानकानुसार नही लगी पायी गयी।	अपडेटेड आई0ई0सी0 डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों यथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, टीकाकरण, बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि की उपलब्ध सुविधाओं व सेवाप्रदाताओं का विवरण, फैमिली प्लानिंग इण्डेमनिटी स्कीम आदि का वाल पेन्टिंग के माध्यम से डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।

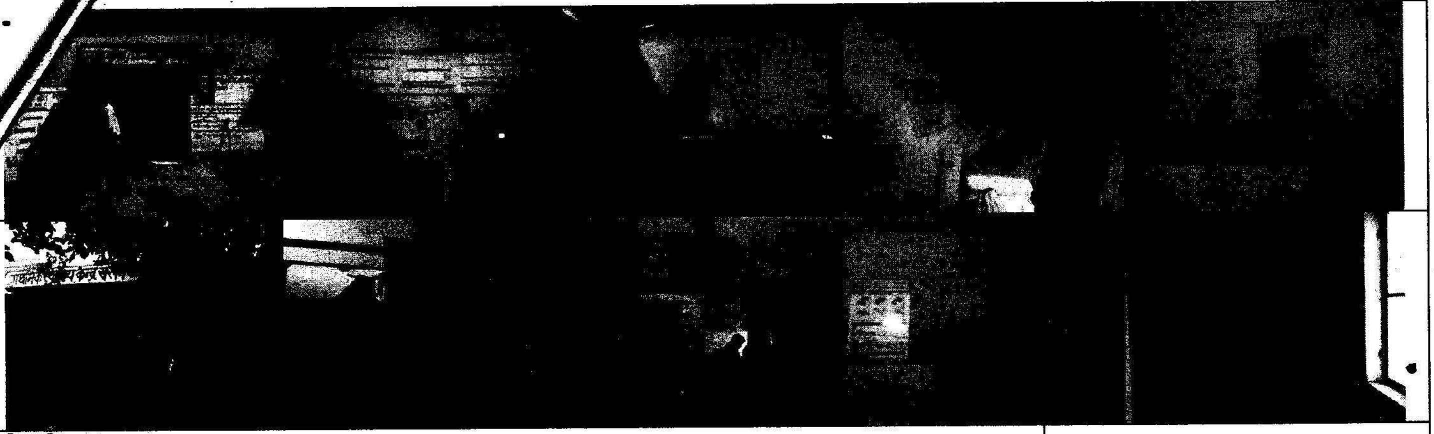

बी0पी0एम0यू0 कक्षः–		
कक्ष में अभिलेख अद्यतन नही पाये गये। सारे अभिलेख, प्रपत्र अव्यवस्थित रूप से रखे पाये गये। ओ0पी0डी0 रजिस्टर प्रिण्टेड नहीं थे। क्षेत्र भ्रमण पुस्तिका निर्धारित प्रपत्र पर नहीं था।	ब्लाक एक नजर में कार्यक्रमवार समस्त उपलब्धियॉ, मानव संसाधन, सेवाओं का विवरण आदि चिकित्सा अधीक्षक कक्ष व बी0पी0एम0यू0 व स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कक्ष में लगवाने का सुझाव दिया गया। समस्त कालम अंकित कर नियमानुसार भरे जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं श्री आलोक कुमार, बी0पी0एम0।
एम0सी0टी0एस0 की स्थिति –		
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री आनंद मिश्रा, एम0सी0टी0एस0 आपरेटर, परिसर में नही आता एवं एम0सी0टी0एस0 का रिकोर्ड भी नही चढाया जाता। टीम के सदस्यों द्वारा श्री मिश्रा से पूछने पर बताया गया कि वहा नेट न होने के कारण वो मुख्यालय में कार्य करता है एवं प्रपत्र लेने ही आता है। एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकरण का कार्य प्रतिमाह कम होता पाया गया एवं अपडेशन शून्य पाया गया। आपरेटर को वर्कप्लान जनरेट कर पोर्टल को अपडेट करने हेतु निर्देशित किया गया। एम0सी0टी0एस0 आपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य सन्तोषजनक न होने के लिए डाटा उपलब्ध न होना, अन्य कार्यो के भार के कारण समय न दे पाना, एजेन्सी द्वारा कम वेतन देना आदि कारण बताये गये। एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर द्वारा अन्य कार्यो के कारण पोर्टल पर गर्भवती महिला एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की स्थिति अत्यधिक कम पायी गयी। एम0सी0टी0एस0 पोर्टल से वर्कप्लान नियमित रुप से जनरेट नहीं किया जा रहा है। वर्कप्लान जेनेरेट कर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का समय से अपडेशन करने हेतु निर्देशित किया गया।	टीम के सदस्यों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से नेट का इंतजाम करने को एवं श्री मिश्रा को नियमित परिसर में अपने कार्य को सम्पदित करने का निर्देश दिया। टीम के सदस्य द्वारा पोर्टल अपडेट कराया गया एवं दुसरे दिन मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कार्यालय में जनपद के समस्त एम0सी0टी0एस0 आपरेटरों की बैठक कर प्रशिक्षित कर अपडेट करने के निर्देश दिये गयें 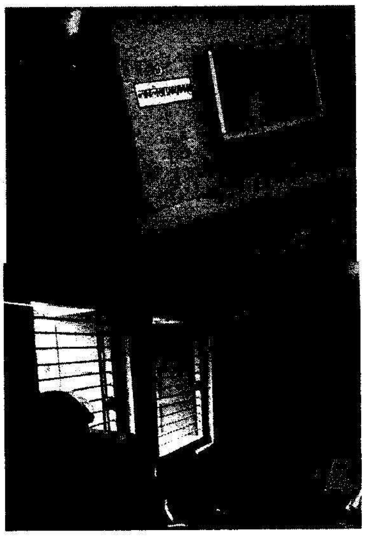	मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं एम0सी0टी0एस0 आपरेटर 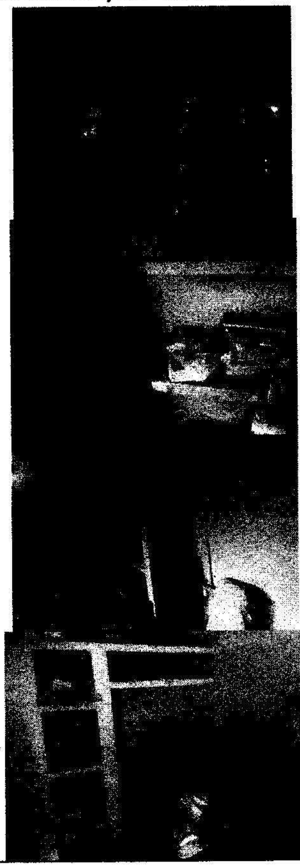

चिकित्सा प्रभारी महोदय द्वारा बताया गया कि श्री आनंद मिश्रा, एम0सी0टी0एस0 आपरेटर, परिसर में नही आता एवं एम0सी0टी0एस0 का रिकोर्ड भी नही चढाया जाता। टीम के सदस्यों द्वारा श्री मिश्रा से पूछने पर बताया गया कि वहा नेट न होने के कारण वो मुख्यालय में कार्य करता है एवं प्रपत्र लेने ही आता है। एम0सी0टी0एस0 आपरेटर द्वारा पोर्टल पर कार्य सन्तोषजनक न होने के लिए डाटा उपलब्ध न होना, अन्य कार्यो के भार के कारण समय न दे पाना, एजेन्सी द्वारा कम वेतन देना आदि कारण बताये गये। एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर द्वारा अन्य कार्यो के कारण पोर्टल पर गर्भवती महिला एवं बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की स्थिति अत्यधिक कम पायी गयी। एम0सी0टी0एस0 पोर्टल से वर्कप्लान नियमित रुप से जनरेट नहीं किया जा रहा है। वर्कप्लान जेनेरेट कर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का समय से अपडेशन करने हेतु निर्देशित किया गया।	टीम के सदस्यों ने चिकित्सा प्रभारी से नेट का इंतजाम करने को एवं श्री मिश्रा को नियमित परिसर में अपने कार्य को सम्पदित करने का निर्देश दिया। टीम के सदस्य द्वारा पोर्टल अपडेट कराया गया एवं दुसरे दिन मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कार्यालय में जनपद के समस्त एम0सी0टी0एस0 आपरेटरों की बैठक कर प्रशिक्षित कर अपडेट करने के निर्देश दिये गयें 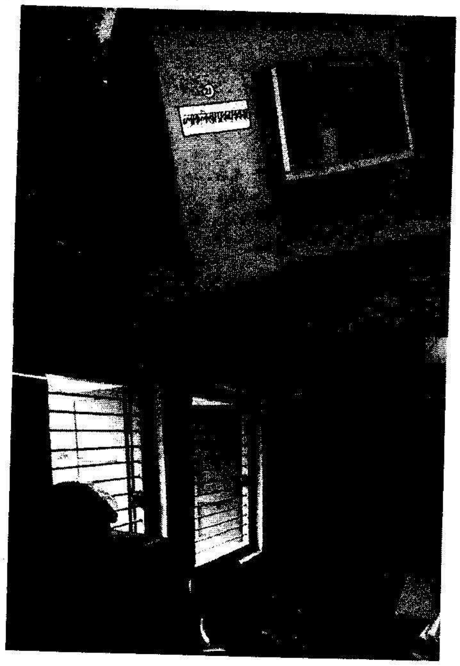	चिकित्सा प्रभारी एवं एम0सी0टी0एस0 आपरेटर
लेबर रुमः–		
लेबर रुम अत्यन्त खराब स्थिति में है। लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स, हैण्डवाशिंग एरिया आदि नहीं पायी गयी।	एम0एन0एच0 टूल किट का अध्ययन करने व मेन्टर्स के सहयोग से लेबर रूम में सेवन (सात) ट्रे, एस0बी0ए0 प्रोटाकालपोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया।	ब्लाक पर तैनात **चिकित्सा** अधीक्षक एवं चिकित्सक **के** स्तर से।
लेबर रुम में ड्यूटी चार्ट नहीं लगाया गया था। प्रसव कक्ष में पर्दे इत्यादि नही लगे थे। लेबर रुम में डिलीवरी टेबल पर कैलीस्पैड थे। चादरें नहीं थीं।	ड्यूटी चार्ट लगाये जाने का सुझाव दिया गया। पर्दे इत्यादि लगाने के लिये सुझाव दिया गया।	
लेबर रुम में डिजिटल घड़ी नहीं थी। चप्पलें व मास्क आदि उपलब्ध नहीं कराये गये थे।	समस्त आवश्यक उपकरण ठीक कराने व निर्धारित स्थान पर प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया।	
डिलीवरी रजिस्टर में अंकित सूचनाओं के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अधिकांशता केसों में प्रथम स्तनपान मात्र 8–30 मिनट के मध्य कराया गया। जे0एस0वाई0 के अन्तर्गत लाभार्थीओं का भुगतान लम्बित था। डिलीवर		

एम0एन0एच0 टूल किट के अनुसार ...यक ट्रे उपलब्ध नहीं थी। इमरजेंसी ट्रे में ...श्यक मेडिसिन उपलब्ध नहीं थीं। डिलीवर रूम में प्रोटोकॉल पोस्टर्स उपलब्ध नहीं थें और ना ही पार्टोग्राफ का प्रयोग में लाया जा रहा था। वॉश बेसिन बहुत गंदा था। प्रसव पश्चात देखभाल वार्ड में उचित सफाई नहीं थी।		
बायोमेडिकल वेस्ट–		
बॉयोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेन्ट एवं लाउड्री आदि सपोर्ट सर्विस सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। चिकित्सालय में Colour Codded Bins की काम चलाऊ ब्यवस्था की गयी थी।	बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट पर सम्बन्धित समस्त स्टाफ का अभिमुखीकरण कराये जाने का सुझाव दिया गया।	मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था हेतु अनुबन्धित एजेन्सी विगत चार माह से सेवायें नही दे रही है। उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी नहीं है।	उपस्थित स्टाफ को भी वेस्ट सेग्रीगेशन की जानकारी से अपडेट करने व एजेन्सी की सेवाओं को नियमित करने हेतु फीडबैक देने का सुझाव दिया गया।	
स्टोर रुमः–		
स्टोर में उपलब्ध सामग्री का विवरण नहीं था। सामान ब्यवस्थित थी किन्तु लेविलिंग नही की गई थी। एक्स्पाइरी दवायें पायी गयी। कण्डम सामान का निस्तारण नही किया जा रहा है।	ब्यवस्थित तरीके से रखने व लेबलिंग करने का सुझाव दिया गया। अप्रयोज्य सामग्री को निस्तारित कराने का सुझाव दिया गया।	ब्लाक पर तैनात चिकित्सा अधीक्षक एवं भण्डार प्रभारी के स्तर से।
फार्मासिस्ट द्वारा दवाईयों के रखरखाव एवं स्टाक बुक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई। अधिकांश दवाईयों की अवधि एक–दो माह में खत्म होने जा रही है एवं कुछ एक्स्पाइरी दवायें भी प्राप्त हुई।	फीफो मेथड (FEFO Method – First Expiry First Out) उपयोगित करते हुए स्टाक खारीज करने का सुझाव दिया गया।	
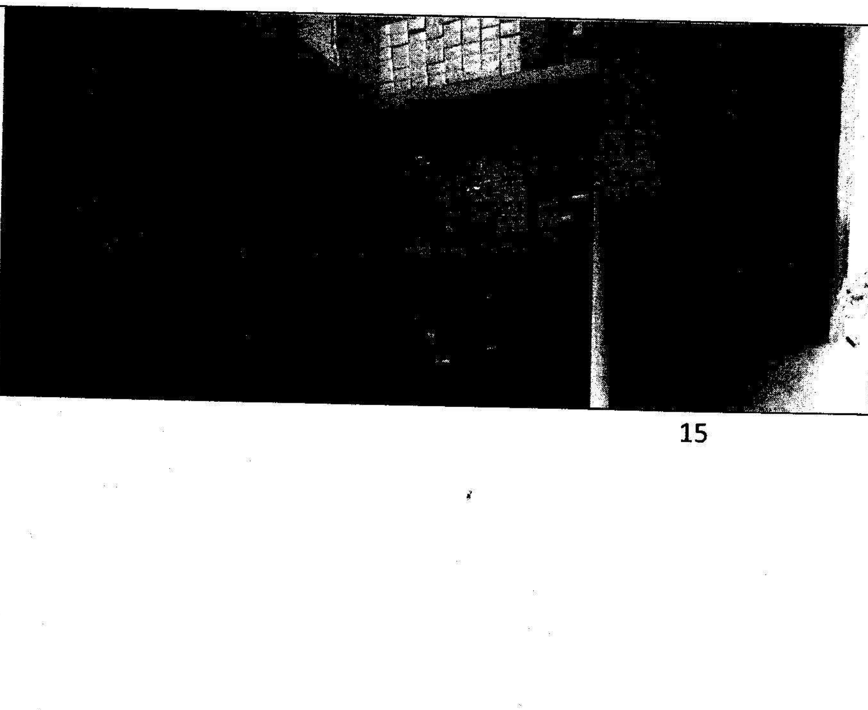 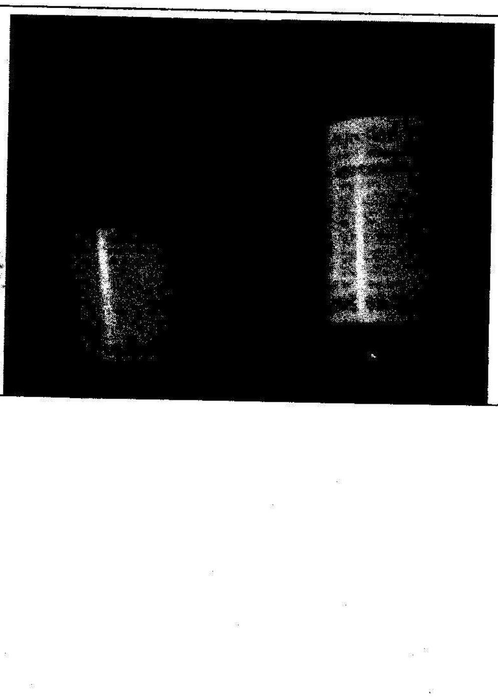		

वार्ड:–		
जे.एस.वाई वार्ड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेश/आई.ई.सी. नहीं थी।	वार्ड में संदेश अंकित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
पी.एन.सी. वार्ड में भर्ती प्रसूताओं की काउंसिलिंग सही तरीके से नहीं की जा रही थी। Serum Bilirubin and RPR आदि जाचें नहीं हो रही है।	स्टाफ को प्रसूताओं को शीघ्र एवं केवल स्तनपान पर काउन्सिलिंग हेतु सुझाव दिया गया।	
प्रिण्टिंग सामग्री–		
नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारुप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट उपलब्ध थे। सिर्फ सहमति पत्र भरा जा रहा है, उसमें भी समस्त सूचनायें नहीं अंकित थीं। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि भरा हुआ नही पाया गया।	समस्त नवीन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने व दस्तावेजीकरण किये जाने का सुझाव दिया गया। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्तर सें।
मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पूर्ण रुप से नही भरा जा रहा था।	पूर्ण रुप से भरकर संधारित करने का सुझाव दिया गया।	
रेफर किये गये केसेज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। किन्तु रेफरल रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया।	रेफरल रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया।	
ए0एन0सी0 रजिस्टर पर एच0आर0पी0 का चिन्हिकरण नहीं किया जा रहा है।		
आर.बी.एस.के.टीम:–		
आर.बी.एस.के. टीमों के वाहन की लागबुक भरी जा रही हैं। लागबुक में मीटर रीडिंग व यात्रा प्रारम्भ किये जाने व वापसी का समय अंकित नहीं था। टीम के रिकार्ड अधूरे भरे गये थे। अधिकांश कालमों में सूचनायें नहीं भरी गयी थी।	निर्धारित प्रिण्टेड लागबुक प्रयोग करने व नियमित भरने का सुझाव दिया गया।	आर0बी0एस0के0 टीम के चिकित्सक के स्तर सें।
टीमों के पास उपलब्ध आई0एफ0ए0 टेबलेट व सैनेट्री नैपकिन का भली भॉति उपयोग नहीं किया जा रहा है।		
लाजिस्टिक एवं उपकरण:–		
स्वास्थ्य इकाई पर निःशुल्क आपूर्ति के गर्भनिरोधक उपलब्ध नहीं थे। स्वास्थ्य इकाई पर भी आशा सप्लाई के गर्भनिरोधक ए0एन0एम0 के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे।	समस्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध व क्रियाशील होने चाहिए। प्रत्येक प्रकार के लाजिस्टिक की मॉग कर उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। सम्बन्धित मानव संसाधन को उपलब्ध उपकरणों का संचालन व संक्रमण से बचाव सम्बन्धी जानकारियों से अपडेट कराया जाये।	

न्सः–		
बुलेन्स उपस्थित पायी गयी। लॉग बुक द्यतन पायी गयी किन्तु वाहन चालक एवं पायलट को अकस्मिक स्थिति में दायित्वों का ज्ञान नही पाया गया एवं अव्यवस्थित स्थिति में उपकरण एवं औषधियों का बाक्स रखा पाया गया।	टीम के सदस्यों द्वारा वाहन चालक एवं पाइलट को निर्देश दिये गये कि वाहन की सामग्री एवं अभिलेख व्यवस्थित करें।	ब्लाक स्तर पर तैनात सम्बन्धित वाहनों के वाहन चालक एवं पाइलट के स्तर सें।
परिवार नियोजन–		
होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के तहत आशाओं को गर्भनिरोधक सामग्री के वितरण हेतु मॉगपत्र नहीं भरे जा रहे हैं।	होम डिलीवरी आफ कन्ट्रासेप्टिव स्कीम के दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन किया जाये व प्रत्येक आशा के मांग के अनुरूप (प्रपत्र ए भरवाकर) गर्भनिरोधक सामग्री का वितरण आशाओं को नियमित रूप से किया जाय तथा ईकाई स्तर पर गर्भनिरोधक सामग्रियों की निरन्तरता बनाये रखने हेतु तीन माह या 25 प्रतिशत बफर स्टाक रखकर मॉगपत्र समय से प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सकों के स्तर सें।

धन्यवाद

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)	**(श्री अभय द्विवेदी)**	**(सौरभ तिवारी)**	**(श्री शिव जयसवाल)**
महाप्रबंधक	तकनीकी सलाहकार	तकनीकी सलाहकार	डाटा एनालिस्ट